राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
आदेशिका

दिनांक 06-11-2019 परिवाद संख्या 2017/17/2063

समक्ष : एकलपीठ
माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

राज्य सरकार द्वारा तंबाकू की फसल के उत्पादन व तंबाकू के सभी प्रकार के उत्पादों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है, विषय पर राज्य आयोग द्वारा धारा 12 (घ), मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त विषय पर विचार करने का कारण यह है कि सम्पूर्ण विश्व, विश्व के स्वास्थ्य संगठन व विश्व की सरकारें आम जनता को यह बता रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन व सरकारें तंबाकू से आमजनता को बचाने के लिए अनेक दशकों से प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसके साथ ही अपने अनेक प्रकाशन व प्रेस विज्ञप्तियों में अनेकों वर्षों से यह स्वीकार किया जा रहा है कि तंबाकू पक्ष लॉबी संपूर्ण विश्व में अत्यन्त सख्त लॉबी है। जिसके द्वारा तंबाकू प्रतिबन्ध के विरोध में विश्व स्तरीय प्रयत्नों का जबर्दस्त विरोध किया जा रहा है। आयोग इस प्रकरण में भी यह पाता है कि विश्व के

राज्यों के सर्वोच्च संगठन तंबाकू लॉबी से मुकाबला करने में लगभग पूरी तरह से असफल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान समय में तंबाकू लॉबी द्वारा सफलता पूर्वक अपने कारोबार में विश्व संगठनों के विरोध के दिखावे के पश्चात भी सफलतापूर्वक कारोबार में लगातार वृद्धि की जा रही है।

वर्ष 1948 में प्रथम समय श्री रिचर्ड डोल, ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट ने यह पाया कि धूम्रपान से कैंसर होता है व वर्ष 1950 में उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में लेख प्रकाशित किया है। इसके पश्चात लगातार वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर इस बात की पुष्टि की है कि तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू से कैंसर होता है यह लगभग 55 वर्ष पूर्व प्रमाणित हो चुका है।

लगभग 55 वर्ष पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 168 देशों, मय भारत के तंबाकू पर रोक के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित कर “The Framework Convention on Tobacco Control, 2003” (FCTC, 2003) तैयार करवाया गया। इस समझौते FCTC, 2003 के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों द्वारा अपने-अपने देश में तंबाकू की रोकथाम के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए थे।

FCTC, 2003 के अनुच्छेद 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस समझौता 2003 में प्रस्तावित तम्बाकू रोक के प्रयत्नों/उपायों से अधिक प्रभावी तम्बाकू

रोक के कानून बनाए जाने पर किसी देश पर रोक नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार किया गया FCTC, 2003 तंबाकू रोक पर न्यूनतम कार्यक्रम है, न कि अंतिम उपाय है। अर्थात् सभी राष्ट्रीय तंबाकू रोक पर सख्त से सख्त कानून बनाने हेतु स्वतंत्र है। परंतु भारत सरकार द्वारा आयोग के समक्ष रखे गए पक्ष से प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने FCTC, 2003 को तंबाकू रोक के लिए सख्त कानून नहीं बनाने के लिए आधार बनाया है।

तंबाकू व धूम्रपान से कैंसर होता है इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात व विश्व के 168 देशों, मय भारत द्वारा यह स्वीकार किए जाने के पश्चात की तंबाकू से कैंसर होता है, वर्तमान समय में, लगभग 55 वर्ष पश्चात विश्व के देशों द्वारा अत्यंत कमज़ोर, तंबाकू पर रोक के ही नहीं, बल्कि धूम्रपान पर कितने कमज़ोर कानून बनाये गये है, इसका परिणाम निम्न प्रकार से हैं :-

1. तंबाकू मानव जीवन व स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है व कैंसर, हृदय रोग, श्वास रोग तथा फेंफडों के रोग उत्पन्न करता है, यह तथ्य विश्व स्तर पर, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तथ्य है।

2. वर्तमान में विश्व में, 15 वर्ष की आयु से अधिक 100 करोड़ से अधिक व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं और प्रतिबंध तम्बाकू सेवन से बच्चों को बचाने के लिए लगाए जाते हैं।

3. वयस्क व्यक्तियों को तम्बाकू की बिक्री के औचित्य के सम्बंध में एक भी तर्क नहीं रखा गया है।

4. विश्व में प्रति वर्ष 4.96 ट्रिलियन से बढकर 6.25 ट्रिलियन अर्थात 4 लाख 96 हजार करोड से बढकर 6 लाख 25 हजार करोड सिगरेट जलायी जाती है। (Wikipidia)

5. धूम्रपान से 7,000 से अधिक रसायन उत्पन्न होते हैं इनमें से 250 रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा 69 रसायन कैंसर कारित करते है।

6. तथ्यों से यह प्रमाणित है कि तंबाकू से विश्व में लगभग 80 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं।

7. उपरोक्त 80 लाख मौतों में से **तम्बाकू सेवन नहीं करने वाले** लगभग 12 लाख लोग प्रति वर्ष तंबाकू के दुष्प्रभाव (second-handsmoke) से मरते हैं।

8. प्रतिवर्ष विश्व में 65,000 बच्चे तंबाकू (second-handsmoke) से मरते हैं।

9. तम्बाकू के दुष्प्रभाव से होने वाली यह मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं होकर अत्यंत दर्दनाक बीमारी, कैंसर से होती है जिससे व्यक्ति तड़प-तड़पकर मरता है और व्यक्ति का परिवार अपने परिजन को तड़प-तड़पकर मरते देखता है और आर्थिक रूप से टूट जाता है।

10. तंबाकू से कैंसर के अलावा हृदय रोग व फेफड़ों के रोग होते है।

11. तम्बाकू का प्रयोग धूम्रपान के अलावा सीधे खाने के लिए भी किया जाता है जिससे मुँह का कैंसर और अधिक मात्रा में होता है।

12. तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग इत्यादि से विश्व की अधिकांश देशों की चिकित्सा व्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है ।

13. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का सर्वाधिक बोझ आर्थिक रूप से कमज़ोर व मध्यम स्थिति के देशों पर होता है जिसकी कीमत विश्व स्तर पर वार्षिक 1.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर (1 लाख 40 हजार करोड रूपये) है।

14. विश्व में तंबाकू उत्पादन के लिए 43 लाख हेक्टर कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है।

15. तंबाकू उत्पादन से प्रति वर्ष 20 लाख टन ठोस अपशिष्ट (solid west) उत्पन्न होता है ।

16. विश्व के कुल कूड़े (litter) में से 30-40 प्रतिशत कूड़ा प्रतिदिन मात्र सिगरेट के टुकड़े से उत्पन्न होता है।

17. तम्बाकू से भारत में लगभग 10 लाख से अधिक लोग प्रति वर्ष मरते हैं।

18. भारत में तंबाकू प्रयोग को रोकने के कानूनों के बावजूद 800 मिलियन टन तम्बाकू का उत्पादन किया जाता है।

19. भारत में तंबाकू की क़िस्म को उन्नत कर तंबाकू उत्पादन को बढ़ाने के लिए Central Tobacco Research Institute (CTRI) द्वारा लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं और गत 70 वर्ष में CTRI द्वारा 94 तंबाकू की नई क़िस्म के बीज तम्बाकू कृषकों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं और सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि सरकार जागरूकता अभियान व कानून बनाकर तंबाकू सेवन से

लोगों को बचने की सलाह दे रही है और आम जन को तंबाकू से बचाने का प्रयास कर रही है।

20. CTRI के अनुसार तम्बाकू की कीमत 28 रुपये प्रति किलोग्राम (*1988-97*) से बढ़कर 110 रुपये प्रति किलोग्राम (*2008-17*) हो चुकी है। CTRI के अनुसार इसका एक महत्वपूर्ण कारण विश्व में भारत की *FCV* तम्बाकू की माँग बढ़ाना है। अतः विश्व स्तर पर तंबाकू की हानियों के जागरुकता अभियान व तम्बाकू के सेवन से रोक पर बनाये गये कानूनों के बावजूद विश्व स्तर पर तम्बाकू की माँग बढ़ रही है, भारत की एक अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वीकृत तथ्य है।

21. CTRI के अनुसार तम्बाकू का निर्यात दुगुने से अधिक, 2.7 गुना (90 मिलियन किलोग्राम से 244 मिलियन किलोग्राम) मात्रा में व 11 गुना (रू. 451 करोड़ से 5030 करोड़) कीमत में गत 30 वर्षों में बढ़ा है ।

22. CTRI के अनुसार *FCV* तम्बाकू उत्पादन से कृषकों की आमदनी रू. 78,009/- प्रति हैक्टर से बढ़कर रू. 1,24,954/- प्रति हैक्टर, मात्र गत 4 वर्ष (2014-15 से (2017-18) में हो चुकी है और सरकार व

विश्व स्वास्थ्य संगठन तम्बाकू सेवन से आमजन को कई दशकों से बचाने के प्रयत्न करने के दावे कर रहे हैं।

23. <u>तंबाकू की रोकथाम के लिए बनाए गये अत्यंत कमजोर कानून के कारण से आज भारत विश्व में दूसरे और तीसरे नम्बर पर तम्बाकू का उत्पादन करने वाला देश बन चुका है।</u>

<u>टिप्पणी</u> : उपरोक्त आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन व CTRI की वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं।

इन विश्व स्तर पर स्वीकार किए गए तथ्यों के पश्चात भी विश्व में व विशेष रूप से भारत विश्व में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद और तम्बाकू के कारोबार पर सम्पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया यह स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठन के उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी सूचनाओं, उद्बोधन व लेखों, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर प्रकाशित प्रसारित व प्रचारित किए गए हैं उनसे ही स्पष्ट है। <u>विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तम्बाकू के विरुद्ध सख्त कानून तम्बाकू लॉबी के दबाव के कारण से नहीं बनाए जा रहे हैं।</u> अगर यही कारण है तो स्थिति खेदजनक ही नहीं शर्मनाक

है। <u>इस आरोप का जवाब आयोग द्वारा नहीं, मात्र सरकार द्वारा ही दिया जा सकता है।</u>

<u>विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनेकों वक्तव्यों में तम्बाकू लॉबी को अत्यंत सुदृढ लॉबी बताया गया है परंतु यह ज्ञात नहीं हो सका है कि तंबाकू लॉबी विश्व की स्वतंत्र देशों की सरकारों की नीति व कानून बनाने की इच्छा शक्ति को तंबाकू लॉबी किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है ?</u> तंबाकू लॉबी द्वारा हथियारों का प्रयोग तो नहीं किया गया है, अन्य कौनसे ऐसे साधन है जो सरकारों को तम्बाकू जैसे उत्पाद पर पूर्ण रोक लगाने से रोक रहे हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देने की आयोग को आवश्यकता नहीं है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर प्रकाशित तम्बाकू लॉबी के संबंध में दिए गए कुछ वक्तव्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। अतः इन तथ्यों को अंकित किया जा रहा है :-

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. मार्ग्रेट चैन द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 के वक्तव्य में तम्बाकू व तम्बाकू लॉबी के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर पूरा जोर देकर तम्बाकू से होने वाली हानियां व तम्बाकू

लॉबी द्वारा विश्व स्तर पर आमजन को बेवकूफ बनाने ***(Please do not be fooled by them)*** का स्पष्ट कथन किया गया। मार्ग्रेट चैन का कथन निम्न प्रकार से है :-

Leading cause of death, illness and impoverishment

The tobacco epidemic is one of the biggest public health threats the world has ever faced, killing more than 8 million people a year around the world. More than 7 million of those deaths are the result of direct tobacco use while around 1.2 million are the result of non-smokers being exposed to second-hand smoke.

Around 80% of the 1.1 billion smokers worldwide live in low- and middle-income countries, where the burden of tobacco-related illness and death is heaviest. Tobacco use contribtes to poverty by diverting household spending from basic needs such as food and shelter to tobacco. This spending behaviour is difficult to curb because tobacco is so addictive.

The economic costs of tobacco use are substantial and include significant health care costs for treating the disease caused by tobacco use as well as the lost human capital that results from tobacco-attributable morbidity and mortality. In some countries, children from poor households are employed in tobacco farming to boost family income. These children are especially vulnerable

to "green tobacco sickness", which is caused by the nicotine that is absorbed through the skin from the handling of wet tobacco leaves.

Second-hand smoke kills

Second-hand smoke is the smoke that fills restaurants, offices or other enclosed spaces when people burn tobacco products such as cigarettes, *bidis* and water-pipes. *There are more than 7000 chemicals in tobacco smoke, of which at least 250 are known to be harmful and at least 69 are known to cause cancer.*

There is no safe level of exposure to second-hand tobacco smoke.

- In adults, second-hand smoke causes serious cardiovascular and respiratory diseases, including coronary heart disease and lung cancer. In infants, it raises the risk of sudden infant death syndrome. In pregnant women, it causes pregnancy complications and low birth weight.
- *Almost half of children regularly breathe air polluted by tobacco smoke in public places.*
- *Second-hand smoke causes more than 1.2 million premature deaths per year.*

- *65 000 children die each year from illnesses attributable to second-hand smoke.*

Every person should be able to breathe tobacco-smoke-free air. Smoke-free laws protect the health of non-smokers, are popular, do not harm business and encourage smokers to quit.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. मार्ग्रेट चैन द्वारा *Sixth Session of the Conference of the Parties to WHO FCTC* *के दिनांक 13 अक्टूबर, 2014* के उद्बोधन में भी यही कहा गया है कि तम्बाकू पर रोक नि:संदेह रूप से सबसे बडा, सबसे सुनिश्चित व सर्वोत्तम अवसर लाखों लोगों की जिन्दगी बचाने को प्रदान करता है :-

"tobacco control. Tobacco control unquestionably is our biggest, surest, and best opportunity to save some millions of lives."

Dr Vera Luiza da Costa e Silva, Head of the Convention Secretariat WHO FCTC ने Press release *30 MAY, 2017* में कहा है कि :-

"Tobacco use kills more than 7 million people around the world each year. Tobacco use causes serious disability and significantly increases the risk of a number of additional diseases

not immediately linked to it such as tuberculosis. However, it is the wider economic and development impacts of tobacco that must be better understood. With the tobacco industry doing all it can to increase tobacco consumption in low- and middle-income countries, we must all take action to bring tobacco use to an end."

डॉ. मार्ग्रेट चैन द्वारा तंबाकू के सम्बन्ध में रखे गये विचार को BrainyQuote में इन शब्दों में अंकित किया गया है :-

"Tobacco is the only industry that produces products to make huge profits and at the same time damage the health and kill their consumers."

इन सब तथ्यों के बावजूद विश्व संगठन व विश्व की सरकारें सम्पूर्ण तंबाकू के कारोबार पर पूर्ण प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा रही है यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु है जिस पर आयोग द्वारा विचार करने का निर्णय लिया गया।

विषय पर विचार करने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई चेतावनी का उल्लेख करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तंबाकू के पक्ष में सक्रिय "लॉबी" द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन व विश्व की लगभग सभी सरकारों पर तंबाकू लॉबी के प्रभाव

व दबाव का अलग-अलग जगह कई बार उल्लेख किया गया है। डॉक्टर मार्ग्रेट चैन, महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 के संदेश में तंबाकू लॉबी के लिए यह टिप्पणी की गई थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का दुश्मन नम्बर एक तंबाकू लॉबी है :-

> "As you all know, I have never shied away from embracing WHO's position as the **tobacco industry's number one enemy**. I regard this as a badge of honour. It is in this spirit that WHO lends the voice of public health, and the power of peer-reviewed evidence, to **countries that are facing predictable and forceful opposition from the industry."**

तंबाकू रोग दिवस, दिनांक 31 मई, 2017 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में तंबाकू लॉबी के लिए निम्नलिखित टिप्पणी की गई :-

> **"The tobacco industry is vector of one of the greatest threats our society faces. It takes courage to antagonize powerful economic operators."**

FCTC के अनुच्छेद 5.3 के दिशा-निर्देश की प्रस्तावना के बिंदु संख्या 01 में तंबाकू लॉबी/उद्योग के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की है :-

"the tobacco industry has operated for years with the express intention of subverting the role of governments and of WHO in implementing public health policies to combat the tobacco epidimic."

तंबाकू लॉबी की कार्यप्रणाली को जानने के लिए यहां यह तथ्य भी दर्ज करना आवश्यक है कि, भारत सरकार द्वारा तंबाकू से कैंसर होने की चेतावनी के चित्र, तंबाकू उत्पादों के पैकेट्स पर 85% प्रकाशित करने के लिए नियम बनाए गए थे। इस नियम के विरोध के लिए तंबाकू लॉबी द्वारा भारत की संसदीय सब कमेटी में 2 लाख प्रतिवेदन पेश करवाए गए। ये 2 लाख प्रतिवेदन कितने पृष्ठों में होंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तंबाकू उत्पादकों व तंबाकू उत्पादों के कारोबारियों द्वारा तंबाकू उत्पादों के पैकेट्स पर 85% सचित्र चेतावनी के नियम को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य भी आया था कि तंबाकू से कैंसर होता है जो एक जानलेवा बीमारी है।

पूरे विश्व में सैकड़ों या हजारों गैर सरकारी संगठन ही नहीं, बल्कि भारत में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व राज्य सरकार के कई विभाग, तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियों से आमजन को जागरूक करने की अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर अनेक प्रकाशन जारी कर अनेक वीडियोज् लगभग सभी

टीवी चैनल्स में लगभग प्रतिदिन प्रसारित करते हैं। परंतु यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि, तंबाकू की सभी हानियों को स्वीकार करने के पश्चात भी राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोग में लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया कि, तंबाकू व उसके उत्पादों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार का यह मत, तंबाकू लॉबी को इस विषय पर पूरा समर्थन कर रहा है। **केंद्र सरकार यह स्वीकार करती है कि, उनके स्वयं के द्वारा बनाए गए कानूनों में यह भारी कमी है कि, अगर देश में 10 से 14 लाख लोग प्रतिवर्ष कैंसर से पीड़ित होकर, दर्दनाक मौतों को प्राप्त होते हैं तो भी केंद्र सरकार के हाथ COTPA, 2003 से ऐसे बंधे हैं कि, केंद्र सरकार COTPA, 2003 में कोई संशोधन कर 10 से 14 लाख लोगों को नहीं बचा सकती है। अर्थात कानून का जन्मदाता अपने आपको कानून के सामने पूरा बेबस होना स्वीकार करता है।**

इसी के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तंबाकू पर संपूर्ण प्रतिबंध के विरोध में जो भी आपत्तियां लॉबी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, लगभग वही सब आपत्तियां केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आयोग में पेश की गई हैं।

चूंकि विश्व भर में, विश्व के देशों के संगठन व विश्व की लगभग सभी सरकारों द्वारा विश्व में होने वाली 70 लाख व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मृत्यु के पश्चात भी तंबाकू व तंबाकू उत्पादों पर संपूर्ण रोक लगाने से इनकार किया

जा चुका है, अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन का निष्कर्ष कि, तंबाकू लॉबी एक अत्यंत सुदृढ लॉबी है, तथ्यों पर आधारित है। इन तथ्यों में जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है कि, मात्र तंबाकू के पैकेट के 85% हिस्से पर एक सचित्र चेतावनी कि, तंबाकू से कैंसर होता है, के विरोध में संसदीय उप समिति के समक्ष दो लाख प्रतिवेदन पेश करवाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को तम्बाकू पैकेट पर कैंसर होने की सचित्र चेतावनी लगाने के नियमों के विरूद्ध तम्बाकू लॉबी द्वारा न्यायालयों में मुकदमें भी पेश होने की जानकारी रही है और इस सम्बन्ध में WHO FCTC के छठे अधिवेशन में दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 को निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:-

> "As implementation of the Framework Convention reaches new heights, **the tobacco industry fights back, harder and through every possible channel, no matter how devious those channels and practices are.** Litigation brought against governments in national courts has been common, especially against the approval of large pictorial warnings on tobacco product packages."

आयोग किसी पक्षकार द्वारा अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में जाने से कोई विपरीत धारणा नहीं करता है। आयोग न्यायालयों में वाद पेश करने

के तथ्य को, एक तथ्य के रूप में इस कारण से अंकित कर रहा है कि जब सम्पूर्ण विश्व, तंबाकू के मानव सेवन के विरोध में जागरूकता अभियान चला रहा है, उस समय में तंबाकू लॉबी हर सम्भव प्रयास, तंबाकू रोक के विरोध में कर रही है। आयोग यहां पर यह उल्लेख करना उचित समझता है कि, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा तंबाकू लॉबी की हर सम्भव सहायता किया जाना उचित समझा गया है। चाहे इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार को यह तक पक्ष रखना पडा हो कि, केन्द्र व राज्य सरकार देश में 10 से 14 लाख लागों की दर्दनाक कैंसर से मृत्यु से बचाव के प्रयत्न में रोजगार व राज्य के राजस्व को ज्यादा महत्व देती है और ऐसे लिखित विचार प्रस्तुत करते समय केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा तंबाकू लॉबी के इस कथन को भी स्वीकार कर लिया गया है कि अगर तंबाकू पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जायेगा तो तंबाकू लॉबी द्वारा बताये गये श्रमिक बेराजगार हो जायेंगे अर्थात तंबाकू क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक अन्य कोई रोजगार नहीं करेंगे या उन्हें अन्य कोई रोजगार नहीं मिलेगा और सरकार इनके लिए कोई वैकल्पिक रोजगार भी उपलब्ध नहीं करा सकेगी या इनमें से अधिकांश अथवा कुछ लोगों को वैकल्पिक रोजगार सरकार भी दे सकेगी, यह सम्भव नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध यह टिप्पणी अत्यन्त महत्वपूर्ण है :-

"Most recently, and in a particularly brazen move, the tobacco industry brought its agenda and it its voice here to the heart of tobacco control. Yesterday, the International Tax and Investment Centre, whose board of directors includes several tobacco companies, convened Parties and Observers to discuss tobacco tax and price policies without fully disclosing their vested interests.

Please, do not be fooled by them.

Their agenda, at least, is easy to see: to undermine your power, your efforts to adopt the robust, expert-driven proposed guidelines on tobacco tax and price policy. These guidelines, when used to implement the treaty's Article 6, will protect children and young people, in particular, from initiating tobacco use.

There is an exchange of views recorded in the mountains of internal industry documents that are now in the public domain. ***Let me share with you one such document. It records a discussion – an internal discussion – about whether the industry should consider children as part of its market. I***

remember very well one reply, which I would like to quote directly: "They got lips? We want them."

So ladies and gentlemen, this is the kind of tobacco industry tactic. They just want more and more market share. They could not care less if they are killing children.

(नोट :- स्पष्ट है कि तंबाकू लॉबी न सिर्फ सम्पूर्ण विश्व में विश्व संगठन तथा विश्व के तमाम देशों के तंबाकू रहित अभियान के बावजूद छोटे बच्चों को भी तंबाकू की लत लगाने के लिए कटिबद्ध है।)

Again, don't be fooled by them.

What is the next challenge? *The next challenge is that the tobacco industry is increasing its dominance over the market for electronic cigarettes.* This should not come as a surprise. *One company used this year's World No Tobacco Day to call on WHO, and call on all of your governments, to promote electronic cigarettes as a way of protecting some of the lives that they themselves are killing with the other products they sell.*

We also heard a familiar argument. That company insists that it "can and should be a part of this debate and possible solutions." No way. As ***I have said before, giving any tobacco company a place at the negotiating table is akin to appointing a committee of foxes to take care of your chickens."***

उपरोक्त तथ्यों के साथ ही, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, स्वयं के समक्ष इस प्रकरण में आये तथ्य पूरी तरह से यह प्रमाणित करते हैं कि, तंबाकू पक्ष लॉबी अत्यंत सक्रिय ही नहीं, बल्कि अत्यन्त प्रभावशाली लॉबी है। प्रमाणस्वरूप, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में तंबाकू प्रतिबंध के विरोध में हजारों (लगभग 15,000) प्रतिवेदन, जिनमें अधिकांश एक ही समान व एक ही कार्टन या पैकेट्स में प्रस्तुत करवाए गए। संपूर्ण तंबाकू लॉबी द्वारा ये प्रतिवेदन तंबाकू उद्योग से संबंधित बीडी उद्योग, तंबाकू की खेती करने वाले व्यक्तियों और इनके संगठनों व सिगरेट इत्यादि के व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत करवाए गए।

राज्य आयोग स्वयं के समक्ष तंबाकू लॉबी के प्रभावी प्रस्तुतीकरण, आयोग में माननीय उच्चतम न्यायालय के अति सम्माननीय पूर्व न्यायाधीशगण श्री सी.के. ठक्कर व श्री जी.एस. सिंघवी व अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण द्वारा आयोग के क्षेत्राधिकार पर ***विधिक बिन्दुओं*** पर दी गई राय प्रस्तुत की गई। सिगरेट कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहना, सुनवाई के लिए उपस्थित होना और बताना कि तंबाकू कारोबार के लिए लाखों जीवन की मांग जायज है और अगर **तंबाकू, तंबाकू से संबंधित उद्योग व व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो इनसे संबंधित व्यक्ति**

आतंककारी व नक्सलाइट बन जाएंगे। इस कथन का तात्पर्य यह भी समझा जा सकता है कि यह एक धमकी है। जब कंपनी के उच्चाधिकारियों व सुनवाई के लिए उपस्थित उनके अधिवक्तागण से पूछा गया कि, जो कृषक व श्रमिक अत्यंत गरीब तबके के बताए जा रहे हैं उनके हाथ में हथियार कौन देगा ? कंपनी के उच्च अधिकारियों के पास में इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। इन उच्च अधिकारियों को यह भी स्पष्ट पूछा गया कि, गरीब कृषक व गरीब श्रमिक के क्षेत्र में रोटी से सस्ती बंदूक व सब्जी से सस्ती गोलियां मिलती है क्या ? इन अधिकारियों के पास में इसका भी कोई जवाब नहीं था। इन अधिकारियों व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से जब स्पष्ट रूप से यह सवाल पूछा गया कि, आपके कारोबार के लिए प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों की मृत्यु आप चाहते हैं, इन अधिकारियों व संगठनों के प्रतिनिधियों के पास में कोई जवाब नहीं था। तंबाकू लॉबी द्वारा जिस प्रकार के संख्याबल को आगे रखकर गरीबी, बेरोजगारी, आतंक, हिंसा व कानून की कमजोरियों को सामने खड़ाकर, बड़े उद्योगों के समर्थन में लाखों लोगों की मौतों पर अपना व्यापार बचाने हेतु हर प्रकार के ऐसे तर्क रखने की कोशिश की है जिसका सीधा तात्पर्य यह निकाला जा सकता है कि, तंबाकू लॉबी के अनुसार, भारत के संविधान का अनुच्छेद-19 तंबाकू के उद्योगपतियों को लाखों लोगों की मौत के व्यापार से

नहीं रोक सकता है। इसी कारण से मौत के इस व्यापार को संविधान के अनुच्छेद-21 में दिए गए जीवन के अधिकार से ऊपर ही नहीं, बल्कि बहुत ऊपर पहुंचा दिया गया है। आश्चर्यजनक है कि, मानव अधिकारों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेकानेक अत्यंत विस्तृत, बाध्यकारी आदेश पारित करने के पश्चात भी राज्य आयोग को यह बताने की चेष्टा की जा रही है कि, संविधान में सुरक्षित मूल अधिकारों में व्यापार का अधिकार इतना बड़ा है कि, व्यापारी व उद्योगपति मानव जीवन को मूल अधिकार ही नहीं मानते हैं।

विश्व की लगभग सभी सरकारों का, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अनेक वर्षों से स्थाई रूप से लगातार कार्य कर संपूर्ण विश्व को तथा संपूर्ण विश्व की सरकारों व आमजन को यह बता रहे हैं कि तंबाकू जानलेवा बीमारी कैंसर, ह्रदय रोग व फेफड़ों की बीमारियों के होने का मुख्य कारण है तथा तंबाकू से संपूर्ण विश्व का पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित है। विश्व की अर्थव्यवस्था को तंबाकू गंभीर रूप से विपरीत प्रभावित कर रहा है। संपूर्ण विश्व में चिकित्सा व्यवस्था इससे बुरी तरह प्रभावित है। तंबाकू से होने वाले कैंसर से व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उनके परिवार भी आर्थिक रूप से टूट रहे हैं और अधिकांश गरीब

देशों की अर्थव्यवस्था विपरीत प्रभावित हो रही है। अगर तंबाकू की हानियों के संबंध में लिखना शुरू किया जावे तो तथ्यों व आंकड़ों से सैकड़ों पृष्ठ भरे जा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में हजारों ऐसे साहित्य उपलब्ध हैं जो तंबाकू के घातक प्रभावों को, विचलित कर देने वाली भाषा व चित्रों से दर्शा रहे हैं। विश्व भर में भी हो सकता है, परंतु भारतवर्ष में निश्चित रूप से प्रत्येक टीवी चैनल द्वारा हर कुछ समय के पश्चात तंबाकू के भीषण परिणाम, दर्दनाक बीमारियां व इससे होने वाली बीमारियों के संदेश ही नहीं, विचलित कर देने वाले वीडियोज् भी प्रसारित करने पड़ रहे हैं। तंबाकू विरोधी वीडियोज के स्तर से भी यह समझा जा सकता है की कितनी भारी कीमत इन विज्ञापनों के लिए खर्च की जा रही है। भारत में कोई टीवी चैनल 50 वर्ष पुराने चलचित्र दिखाएं अथवा नए चलचित्र दिखाएं उन्हें चलचित्र के उन दृश्यों को चिन्हित कर सिगरेट पीने वाले दृश्य के नीचे चेतावनी प्रकाशित करनी आवश्यक होती रही है कि तंबाकू से कर्क (कैंसर) रोग होता है। चेतावनी इस बात की नहीं होती कि, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, बल्कि ये चेतावनी निश्चित होती है कि, तंबाकू से कैंसर होता है।

विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा तैयार किए गए समझौतों (Treatise) पर हस्ताक्षर कर इस तथ्य को

विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है कि, तंबाकू एक दर्दनाक जानलेवा बीमारी का कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनेक दिशा-निर्देश जारी कर तंबाकू लॉबी से एक लड़ाई की घोषणा की हुई है। तथ्य इंगित करते हैं कि, विश्व के सबसे बड़े संगठन और विश्व की लगभग सभी सरकारें, सरकारी व गैर सरकारी संगठन तंबाकू लॉबी के सामने अपने आपको खड़ा करने में अब तक असफल प्रमाणित हुए हैं। इस अत्यंत गंभीर स्थिति को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा एक से अधिक बार लिखित में प्रकाशित एवं प्रचारित कर स्वीकार भी किया गया है।

चूंकि स्वयं विश्व संगठन तंबाकू उत्पादकों व तंबाकू उत्पादों को तैयार करने वाले श्रमिकों/श्रमिक संगठनों तथा तंबाकू उत्पादों के उद्योगों की लॉबी के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते भी हैं और स्वीकारते भी हैं, अत: प्रतीत होता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि विश्व भर में 70 लाख व्यक्तियों के कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारी व अन्य लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी हानि पहुंचाने वाले इस उद्योग पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन व विश्व स्वास्थ्य संगठन की FCTC रिपोर्ट द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लगभग किसी भी साहित्य में तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है। विश्व स्वास्थ्य

संगठन व विश्व की तमाम सरकारों द्वारा तंबाकू लॉबी से प्रभावित होकर मात्र यह बताए जाने की चेष्टा की जा रही है कि विश्व एक न एक दिन तंबाकू उत्पादों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। जबकि तथ्यों को देखते हुए वास्तविकता यही स्पष्ट करती है कि तंबाकू लॉबी निश्चित है कि तंबाकू पर सम्पूर्ण रोक तो क्या आंशिक प्रभावी रोक भी कभी नहीं लग पाएगी। और तंबाकू लॉबी के निश्चित होने के अनेकों कारण हैं।

तंबाकू के तमाम प्रकारों पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में श्री रवि सैनी व श्री पप्पू लाल द्वारा अधिवक्तागण सुश्री ऐश्वर्या भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय तथा श्री विश्वकांत करण राठौड़, अधिवक्ता के मार्फत इस प्रकरण में पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र में ही तंबाकू के संबंध में स्वयं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के मार्फत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार कराई गई रिपोर्ट का संबंधित विभाग, मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ व अन्य 2001 Supp. (4) SCR 650 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक अध्ययन "Ecomomic Burden of Tobacco Related Diseases in India" (2014) की रिपोर्ट द्वारा वर्ष 2011 में यह आर्थिक भार राशि रूपये 1,04,500/- करोड बताया गया जो कि भारत की जीडीपी का 1.16% होना भी

बताया गया। इस विस्तृत प्रार्थना पत्र में अंकित अनेकों तथ्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा चुका है।

इसी प्रकार श्री राजेश हिरन व श्रीमती प्रियंका लोढा द्वारा एक स्वयंसेवी संस्थान "वाग्धारा" की ओर से आयोग में उपस्थित होकर न सिर्फ तंबाकू, सिगरेट इत्यादि के संबंध में, बल्कि ई-सिगरेट के संबंध में भी अत्यंत हानिकारक तत्वों के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। एक नागरिक संरक्षण समिति, जयपुर द्वारा भी तंबाकू पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु राजस्थान सरकार को दिए गए नोटिस की प्रतिलिपि आयोग में प्रस्तुत की गई। इसी के साथ डॉ. पवन सिंघल द्वारा भी श्री रवि सैनी व श्री पप्पूलाल द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के समान एक विस्तृत लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर तथ्यों व कारणों से तंबाकू पर संपूर्ण प्रतिबंध का तर्कों सहित समर्थन किया गया।

इन प्रतिवेदनों के अलावा भी कई और प्रतिवेदन तंबाकू पर रोक लगाये जाने के समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर भी विचार किया गया है।

विश्व संगठन व विश्व की सरकारों द्वारा यह प्रकट किया जा रहा है कि, आमजन, जिनकी संख्या तंबाकू उत्पादन व तंबाकू के कारोबार में सम्मिलित व्यक्तियों से कई गुना ज्यादा होते हुए भी हम करोडों-अरबों लोगों

को तंबाकू सेवन से रोक देंगे लेकिन कुछ बहुत ही बलशाली तंबाकू उद्योगों को नहीं रोकेंगे।

केन्द्र सरकार द्वारा एक कमजोर कानून **COTPA, 2003** बनाया गया था और यह कानून न सिर्फ तंबाकू से लाखों लोगों की जान बचाने व तंबाकू से बचने व बचाने में पूरी तरह असफल है, बल्कि यही कानून **COTPA, 2003** आज आयोग के समक्ष एक अत्यन्त सुदृढ हथियार के रूप में तम्बाकू लॉबी द्वारा तम्बाकू के उत्पादन व कारोबार के समर्थन में काम में लिया जा रहा है। इसी **COTPA, 2003** व तंबाकू उत्पादों के पैकेट्स पर 85 प्रतिशत सचित्र कैंसर होने की चेतावनी के प्रकरण तथा जब सरकार द्वारा **COTPA, 2003** के अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई तब उस सीमित विषय पर माननीय न्यायालयों द्वारा दिये निर्णयों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि मानों केन्द्र सरकार द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय कर यह निर्धारित कर दिया गया है कि तंबाकू के उत्पादन व व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा तर्क पूरी तरह से एक दूषित तर्क है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं **COTPA, 2003** के "Aims and Objects" व इसके पूर्व के कानून में भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि तंबाकू व तंबाकू उत्पाद विश्व में सबसे ज्यादा घातक बीमारियों को फैलाने वाला व लाखों लोगों

की मौत का कारण है। इस सब के बावजूद एक अत्यन्त कमजोर कानून, **COTPA, 2003** आज जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उस उद्देश्य को खतम करने के लिए तंबाकू लॉबी स्वयं के काम ले रही है जो आगे अंकित तथ्यों व न्यायिक निर्णयों के विवेचन से प्रमाणित होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत मत एवं विचार:-

आयोग द्वारा इस प्रकरण में आदेश दिनांक 31 मई, 2017 से प्रसंज्ञान लिया जाकर आदेश के जरिए तंबाकू संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी तथ्यों का उल्लेख कर राजस्थान सरकार से स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था कि, "*ऐसा क्या कारण है कि विश्व की सबसे गंभीर बीमारी कैंसर व मौत का कारण तंबाकू उत्पाद, जैसे सिगरेट, बीड़ी तथा पान मसाले (तंबाकू के साथ) व सीधा खाने के लिए उपलब्ध तंबाकू इत्यादि के उत्पादन, संग्रहण, व्यापार व सेवन पर रोक नहीं लगाई लगाई जा सकती है ?*" राज्य सरकार का ध्यान महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की इस टिप्पणी की ओर भी आकर्षित किया गया था कि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, "*It takes courage to antagonize powerful economic operators*", ताकि राज्य सरकार के ध्यान में रहे कि तंबाकू लॉबी का विरोध करना भारी हिम्मत

का काम है। आयोग के आदेश दिनांक 31 मई, 2017 की पालना में राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा रिपोर्ट दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के मार्फत रिपोर्ट दिनांक 31 जुलाई, 2016 प्रस्तुत की गई। निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा इस रिपोर्ट के 2 पृष्ठों में अनेक बिंदुओं में मात्र, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) वर्ष 2003 की योजना के तहत किए गए विभिन्न कार्यों का बिंदुवार विवरण प्रस्तुत किया गया है। इन बिन्दुओं में मात्र राज्य सरकार द्वारा FCTC की योजना के अनुसार आमजन को तंबाकू सेवन से होने वाली हानियों की जानकारी देने व आमजन को तंबाकू पदार्थों से होने वाली हानियों से बचने के लिए जागरूक करने व सार्वजनिक स्थल व स्कूलों के आसपास के अत्यंत सीमित क्षेत्र में तंबाकू उपलब्ध नहीं होने देने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देने की चेष्टा की गई है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा आयोग के निर्देश के बाद भी तंबाकू के तमाम उत्पादों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती है, इस बिंदु का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 से राज्य सरकार की जानकारी में तंबाकू से होने वाली हानियों से सम्बन्धित तथ्यों का आदेश में समावेश कर राज्य सरकार को पुन: इस बिंदु पर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया कि, विश्व के 80 लाख से अधिक व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मृत्यु व अन्य हानियों के विषय पर राज्य सरकार स्पष्ट मत प्रस्तुत करें कि, तंबाकू व इनके उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जा सकता है? आयोग के इस आदेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 में यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर राज्य सरकार द्वारा इस बिंदु पर अपना स्पष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो राज्य आयोग यह धारणा करेगा कि, राज्य सरकार के अनुसार, तंबाकू व तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, संग्रहण व व्यापार पर तुरंत प्रभाव से राज्य में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

आयोग के आदेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के पश्चात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र दिनांक 03 जनवरी, 2018 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया की प्रमुख शासन सचिव महोदय से अनुमोदित उत्तर की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। इस पत्र दिनांक 03 जनवरी, 2018 के साथ अनेक दस्तावेज/अनौपचारिक टिप्पणी/पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्टस की प्रतिलिपियां मात्र संलग्न की गई हैं। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा

दूसरी बार प्रस्तुत रिपोर्ट भी आयोग में विचाराधीन प्रकरण में किसी प्रकार से उपयोगी नहीं थी व राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर आयोग द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर जवाब नहीं दिया गया और यह आगे अंकित तथ्यों से प्रमाणित होगा। देश में 10-14 लाख व्यक्तियों की कैंसर से मृत्यु होने का मुख्य कारण तंबाकू होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा आयोग को मूल बिंदु पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण से आयोग द्वारा आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2018 में पुन: तथ्यों का विस्तार से उल्लेख कर राज्य सरकार का इस विषय पर स्पष्ट मत प्राप्त करने हेतु आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2018 की प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग व प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित की गई व जवाब तलब किया गया और यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (घ) के तहत उचित कानून बनाने व कानून में सुधार करने की अनुशंषा के लिए विचार कर रहा है। आयोग के इस विस्तृत आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के पश्चात भी गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 से निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25 सितम्बर, 2018 एवं

अन्तर्विभागीय पत्र की प्रतिलिपि मात्र संलग्न की गई है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के तीन विस्तृत, तथ्यों व कारणों सहित पारित आदेशों पर व देश में कैंसर से 10-14 लाख (प्रतिवर्ष) मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के बावजूद, न सिर्फ आयोग को सहयोग करने से इनकार किया, बल्कि विवेक का प्रयोग भी नहीं किया गया।

आयोग द्वारा आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2018 से तंबाकू उत्पादन व इससे संबंधित तमाम व्यापार व उद्योगों का मत जानने के लिए एक आम सूचना, दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का निर्देश भी जारी किया गया, ताकि तंबाकू उत्पादन, उद्योग व व्यापार से संबंधित सभी पक्ष आयोग में विचारणीय विषय पर अपना पक्ष रख सकें। आयोग द्वारा इस हेतु जवाब प्रस्तुत करने के लिए तारीख दिनांक 30 मई, 2018 नियत की गई। आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2018 की पालना में राज्य के दो हिंदी समाचार पत्रों, राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में विज्ञप्ति दिनांक 02 मई, 2018 को प्रकाशित करवाई गई। इन 2 विज्ञापनों का असर आगे अंकित तथ्यों से स्पष्ट करेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक श्री मार्ग्रट चैन का अनुमान कि, तंबाकू के विरोध में काम करने के लिए विश्व की शक्तिशाली आर्थिक लॉबी से टक्कर लेने की हिम्मत आवश्यक है, सटीक एवं प्रमाणित है।

आयोग में राजस्थान के दो हिंदी समाचार पत्रों में दिए गए छोटे-छोटे विज्ञापनों का असर यह हुआ कि राज्य आयोग को देश के अनेक राज्यों, जैसे गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक इत्यादि से कागज के गत्तों के कार्टन्स में तथा बोरियों में भरकर जरिये डाक, हजारों की तादाद में तंबाकू लॉबी की ओर से तैयार किए गए प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। ये सभी प्रतिवेदन अपने-अपने क्षेत्र के कार्य के अनुसार, एक ही समान, एक ही भाषा में, एक ही प्रकार के लिफाफों में ही नहीं, बल्कि अलग-अलग नाम से भेजे गये प्रतिवेदनों में, अपने-अपने कार्य में लगे हुए श्रमिकों के दस्तावेजों की एकरूपता से, हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज लगाकर आयोग को भिजवाए गए। मात्र छोटे-छोटे दो विज्ञापनों के पश्चात इस क्षेत्र में काम करने वाले बड़े-बड़े औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियों के साथ आयोग के समक्ष अपने-अपने जुबानी पक्ष रखे गये। जिस प्रकार से, जितनी डाक और जितनी एकसमान डाक, तंबाकू लॉबी के आने के साथ आयोग को प्राप्त हुई है, उसके साथ ही लोकसभा सचिवालय की उपनियमों संबंधी समिति (लोकसभा-2016) की रिपोर्ट दिनांक 15 मार्च, 2016 की रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा *THE INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS (ICIJ)* की रिपोर्ट राज्य सरकार के मार्फत तंबाकू लॉबी द्वारा राज्य आयोग को उपलब्ध कराई गई। संसद की उपसमिति की रिपोर्ट दिनांक 15 मार्च, 2016

के अनुसार, संसद की उपसमिति के समक्ष तंबाकू की खेती करने वाले, बीड़ी उद्योग में काम करने वाले इत्यादि द्वारा, लगभग दो लाख प्रतिवेदन मात्र तंबाकू पैकेट पर 85% तंबाकू से हानि के साथ चित्र प्रकाशन के विरोध के विषय मात्र पर पेश किए गए। जबकि उक्त उपसमिति में तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध का विषय भी विचारणीय तक नहीं था। इन तथ्यों से व राज्य आयोग में प्राप्त हजारों प्रतिवेदनों से विश्व स्वास्थ्य संगठन का तंबाकू लॉबी की शक्ति के प्रति आंकलन स्पष्ट प्रमाणित होता है।

राज्य सरकार द्वारा आयोग के तीन अत्यंत विस्तृत आदेशों के पश्चात भी राज्य में तम्बाकू के पूर्ण प्रतिबन्ध के विषय पर अपना स्पष्ट मत प्रस्तुत नहीं किया गया, परंतु जैसे ही इस मामले में तंबाकू लॉबी सक्रिय रूप से सामने आई, उसके तुरन्त पश्चात राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग के हस्ताक्षरयुक्त एक रिपोर्ट पत्र दिनांक 30 मई, 2018, जिस समय तक तंबाकू लॉबी को आयोग ने अपना पक्ष रखने हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई उक्त दिनांक को, राज्य आयोग में राज्य के गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा विधि विभाग की ओर से पहली बार अपना पक्ष रखा गया कि तंबाकू उत्पादों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों

से इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु इन उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध इस समस्या का हल नहीं है। राज्य सरकार के उच्च स्तरीय मत के अनुसार, तंबाकू पर रोक नहीं लगाई जाकर तंबाकू उपयोग के विरूद्ध शिक्षित व प्रेरित किया जाना उचित रहेगा जिससे वे स्वयं ही तंबाकू छोड दें तथा प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं रहे। राज्य सरकार के इस कथन से आयोग क्या धारण करें यह एक विचित्र स्थिति हो गई है। **तंबाकू के उत्पादन तथा तंबाकू उत्पादों के संपूर्ण व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को, गंभीर कैंसर की बीमारी करने वाले तंबाकू के उत्पादन एवं तंबाकू उत्पादों के व्यापार करने से नहीं रोका जाकर, तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने वाले (तम्बाकू उत्पादन एवं तम्बाकू उत्पादों के व्यापार में संलग्न व्यक्तियों के अनुपात में कई गुना अधिक) व्यक्तियों को रोका जाना तथा इस पर लोकसभा की उपसमिति के निष्कर्ष 05 के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था पर 01,04,500 करोड रुपए (मात्र वर्ष 2011 के लिए) जैसे खर्चे के होते हुए भी *राज्य सरकार का मत है कि, जहर उत्पादन नहीं रोका जा सकता और उनके सेवन करने वालों को रोका जाना उचित होगा!***

इस कारण के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा तंबाकू प्रतिबंध के रूप में यह पक्ष भी रखा गया कि सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 एक

केंद्रीय अधिनियम है जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है। यह आपत्ति तंबाकू लॉबी आने के पूर्व में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

सम्भवतया तंबाकू लॉबी के प्रभाव में या अन्य किसी प्रयोजन से, राज्य सरकार द्वारा तंबाकू उत्पादों के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध के विषय में एक याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया। यह आश्चर्य एवं खेदजनक स्थिति है कि जब राज्य सरकार तंबाकू उत्पादों पर रोक संबंधी विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया जाना बता रही है और उसी दौरान राज्य आयोग के समक्ष यह पक्ष भी रख रही है कि तंबाकू पर रोक नहीं लगनी चाहिए। परन्तु आयोग से अपेक्षा की जाती है कि विषय चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है इस कारण से आयोग विषय पर अपना मत प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

आयोग *सक्षम सरकार* द्वारा विचार कर विधि में संशोधन किए जाने या नहीं किए जाने की आवश्यकता के बिंदु पर धारा 12 (घ), अधिनियम, 1993 के तहत विचार कर विचारार्थ अनुशंषा पेश करता है, न कि स्वयं प्रभावी आदेश पारित करता है। अत: अगर राज्य सरकार इस विषय पर कानून नहीं बना सकती है और केन्द्रीय सरकार ही इस विषय पर कानून बना सकती है तब राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि राज्य में तम्बाकू के दुष्प्रभाव को रोकने

के लिए व प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान बचाने के लिए, लाखों लोगों को कैंसर से बचाने के लिए सुदृढ तरीके से केन्द्र सरकार के समक्ष राज्य यह पक्ष स्पष्ट रूप से रखें कि तम्बाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो। अगर राज्य सरकार इस नीति से सहमत हो तो यह पक्ष राज्य सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय में रखने चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा The *Tobacco Institute of India* व कुछ अन्य कंपनियों व *ITC Limited* द्वारा आयोग को प्रस्तुत प्रतिवेदनों की ओर ध्यान दिलाया है। आयोग द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत सभी लिखित कथन, तर्क व समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर गहनता से विचार किया गया है।

तम्बाकू लॉबी मय तम्बाकू कम्पनियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद- 19 (1) (g) के तहत स्वयं के व्यापार के मूल अधिकार के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है वह सभी न्यायिक निर्णय सीमित विषय पर हैं, न कि वह न्यायिक निर्णय ये घोषणा करते हैं कि, जीवन के अधिकार (अनुच्छेद-21) से ऊपर व्यापार का अधिकार है। न तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद-19 और न ही न्यायिक निर्णय ये घोषणा करते हैं कि, व्यापार के लिए व्यापारियों, उद्योगपतियों व कृषकों को दूसरे व्यक्तियों की जान लेने व कैंसर जैसे दर्दनाक रोग देने व हृदय रोग देने

का अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगातार अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (g) किसी भी व्यक्ति को व्यापार का अनियन्त्रित अधिकार नहीं देता है। अनुच्छेद-19 (6), राज्य को तमाम प्रकार के व्यापार इत्यादि का जनहित में सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार भी देते हैं। इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा *KHODAY DISTILLERIES LTD. AND OTHERS VS. STATE OF KARNATAKA AND OTHERS (1995) 1 SCC 574* के पद संख्या 13 में भारत के संविधान के अनुच्छेद- 47 (राज्य के नीति के निर्देशक तत्व) पर विचार कर राज्य को राज्य के कर्तव्य का ध्यान दिलाया गया कि, यह राज्य का कर्तव्य है कि राज्य यह पूरा प्रयत्न करें कि लोक स्वास्थ्य के सुधार व जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद-47 निम्न प्रकार से हैं:-

> "47. Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.- The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the ***improvement of***

public health as among its primary duties and, in particular, the ***State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.*** "

KHODAY DISTILLERIES LTD. के निर्णय के पद संख्या 12 में अनुच्छेद-19 (6) पर विचार कर, उच्चतम न्यायालय के पूर्व के अनेकों निर्णयों के गहन अध्ययन के पश्चात यह घोषित किया गया कि अनुच्छेद-19 (1) (g) सपठित अनुच्छेद-19 (6) भारतीय नागरिकों के व्यापार, कारोबार व उपजीविका के मूल अधिकार तब तक सुरक्षित करता है जब तक कि ऐसे व्यापार, कारोबार व उपजीविका पर विधि अनुसार प्रतिबन्ध/नियन्त्रण नहीं लगाया जाता है। राज्य को संविधान के अनुच्छेद-19 (6) के अन्तर्गत जनहित में व्यापार, कारोबार व उपजीविका पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार प्राप्त है। यह प्रतिबन्ध जनहित में ही लगाया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य, स्वयं में ऐसे विषय पर कारोबार/व्यापार का एकाधिकार भी सुरक्षित रख सकता है। अत: अनुच्छेद- 19 (1) (g), अनुच्छेद-19 (6) से नियन्त्रित है। *KHODAY DISTILLERIES LTD.* में पद 12 का भाग निम्न प्रकार से हैं:-

"Thus Article 19(1)(g) read with Article 19(6) spells out a fundamental right of the citizens to practise any profession or to carry on any occupation, trade or business ***so long as it is not prohibited or is within the framework of the regulation, if any, if such prohibition or regulation has been imposed by the State by enacting a law in the interests of the general public.*** ***It cannot be disputed that certain professions, occupations, trades or businesses which are not in the interests of the general public may be completely prohibited while others may be permitted with reasonable restrictions on them.*** For the same purpose, viz., to subserve the interests of general public, the reasonable restrictions on the carrying on of any profession, occupation, trade, etc., may provide that such trade, business etc., may be carried on exclusively by the State or by a Corporation owned or controlled by it. ***The right conferred upon the citizens under Article 19(1)(g) is thus subject to the complete or partial prohibition or to regulation, by the State.*** However, under the provisions of Article 19(6) the prohibition, partial or complete, or the regulation, has to be in the interests of the general public. ***It cannot be disputed that certain professions, occupations, trades or businesses which are***

not in the interests of the general public may be completely prohibited while others may be permitted with reasonable restrictions on them. For the same purpose, viz., to subserve the interests of general public, the reasonable restrictions on the carrying on of any profession, occupation, trade, etc., may provide that such trade, business etc., may be carried on exclusively by the State or by a Corporation owned or controlled by it. ***The right conferred upon the citizens under Article 19(1)(g) is thus subject to the complete or partial prohibition or to regulation, by the State.*** However, under the provisions of Article 19(6) the prohibition, partial or complete, or the regulation, ***has to be in the interests of the general public."***

अत: तम्बाकू प्रतिबन्ध के विरोध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सन्दर्भ से हटकर व संविधान के अनुच्छेद-19 (6) पर निर्णयों को नजरअंदाज कर तम्बाकू प्रतिबन्ध विरोधी पक्ष पर भरोसा किया गया है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अत: भारत के संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार को तम्बाकू सम्पूर्ण पर व इसके तमाम उत्पादों पर, इनके व्यापार इत्यादि पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार/भारत संघ व राज्य सरकार द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि तम्बाकू से कैंसर,

हृदय रोग, फेंफडों का रोग तथा लाखों व्यक्तियों की दर्दनाक मौतों को रोकने हेतु भारतीय संविधान के अन्तर्गत कानून बनाने का अधिकार नहीं है। भारत संघ व राज्य सरकार द्वारा मात्र यह कथन किया गया है कि भारत संघ व राज्य सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार तम्बाकू से लोगों को बचाव के तरीके मात्र बताये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा यह नहीं बताया गया है कि, ***भारत देश लाखों लोगों की जान बचाने का अग्रणी देश क्यों नहीं बन सकता है ? विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत सरकार द्वारा तम्बाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई सुझाव क्यों नहीं दिया गया है ?*** भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है व जनहित में, आमजन के जीवन को बचाने के लिए, आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, आमजन को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए तथा आमजन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए न मात्र प्रयत्न कर सकता है, बल्कि भारत सरकार व राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि भारत सरकार व राज्य सरकार ऐसे प्राणलेवा और दर्दनाक मौतों के कारणों को समाप्त करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करें, न कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से दिशा-निर्देश प्राप्त करने का इंतजार करें। भारत व विश्व के मानव जीवन को बचाने तथा मानव के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के कानूनी, तकनीकी अथवा लॉबी के दबाव

से ऊपर उठकर इस सम्पूर्ण तम्बाकू उत्पादन से लेकर तम्बाकू के अन्तिम उत्पादों व व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाये। मानव स्वास्थ्य व मानव जीवन को बचाने के विरूद्ध कोई भी कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (6) के विरूद्ध होने से मान्य नहीं हो सकता है।

तंबाकू प्रतिबन्ध विरोधी लॉबी, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा परोक्ष रूप से यह स्वीकार किया जा चुका है कि COTPA, 2003 तम्बाकू से होने वाली जानलेवा बीमारियों व लाखों लोगों की जान बचाने में पूरी तरह से असफल है व यह एक सक्षम विधि नहीं है। ऐसे कानून के रहते हुए तंबाकू उत्पादकों व इससे सम्बन्धित उद्योगपतियों व व्यापारियों को प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों को मारने की पूरी छूट मिली हुई है।

अत्यन्त दुखद स्थिति है कि आज बहुत ही पैसे वाले व्यापारी और उद्योगपति एक साथ इकट्ठे होकर भारत के नागरिकों को, आमजन व विश्व में 80 लाख लोगों को प्रतिवर्ष दर्दनाक बीमारियों से मारने के व्यापार के समर्थन में हजारों प्रतिवेदन पेश करते हैं। मानो यहां कोई जनमत संग्रह कराया जा रहा है, न कि अत्यन्त गम्भीर विषय पर विचार किया जा रहा है।

तंबाकू प्रतिबन्ध विरोधी लॉबी द्वारा जो भी विधिक राय प्राप्त कर आयोग में प्रस्तुत की गई है वह मात्र राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र पर

विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है। तंबाकू प्रतिबन्ध विरोधियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद - 19 (6) के तहत सरकार के प्रतिबन्ध लगाने के विषय पर कोई राय प्रस्तुत नहीं की गई है। अत: सम्पूर्ण तथ्यों से व तंबाकू प्रतिबन्ध विरोधी लॉबी द्वारा भी सद्भावनापूर्वक पक्ष नहीं रखा गया है।

आयोग द्वारा भारत सरकार को इस विषय पर आयोग को तथ्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे कि, क्या भारत सरकार द्वारा, स्वयं द्वारा अथवा स्वयं के विभाग अथवा सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से इस विषय पर राय ली गई थी कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जायें या नहीं ? इस विषय पर अवसर देने के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा तंबाकू पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के विषय पर विचार नहीं कर, सीमित विषय पर निर्णय लेकर, COTPA ,2003 में मात्र ऐसे प्रावधान बनाये गये है, जिससे तंबाकू से बच्चों को बचाया जा सके व सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान पर रोक, विज्ञापन पर रोक इत्यादि लगाई जा सके। जो व्यक्ति स्वयं धुम्रपान नहीं करते हैं, उन्हें धुम्रपान क्षेत्र में रहने से जानलेवा बीमारी होती है, तब धुम्रपान करने के लिए सामग्री उपलब्ध करवाने के व्यापार का क्या औचित्य हो सकता है, न तो COTPA ,2003 में है, न सरकार द्वारा पेश कथन में है। यह राज्य का

संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वयं कानून बनाकर ऐसे जहर (तंबाकू) पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये। **भारत सरकार व राज्य सरकार जिस तंबाकू का सेवन सम्पूर्ण रूप से सेवन करने वालों को रोककर प्रतिबन्धित करना चाहती है, उसे किन कारणों से उत्पादनकर्ताओं का उत्पादन रोककर नहीं कर सकती है, कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।** अत: आयोग के लिए यह मानने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है कि, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दशकों से तंबाकू लॉबी की जिस शक्ति का वर्णन किया गया है वही शक्ति तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने से सरकारों को रोक रही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

केन्द्र सरकार द्वारा COTPA, 2003 कानून बनाने के लिए FCTC, 2003 का सहारा लिया गया है, परन्तु FCTC, 2003 के अनुच्छेद 2 के भाग 1 में FCTC, 2003 के सुझावों से अतिरिक्त और अधिक सुदृढ कानून बनाने हेतु FCTC, 2003 की पालना नहीं करने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। FCTC, 2003 के अनुच्छेद 2 का भाग 1 निम्नलिखित है:-

Article 2 FCTC, 2003

Relationship between this Convention and other agreements and legal instruments

1. In order to better protect human health, parties are encouraged to implement measures **beyond** those required by this Convention and its protocols, and nothing in these instruments shall prevent a party from **imposing stricter requirements** that are consistent with their provisions and are in accordance with international law.

भारत सरकार द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि किन कारणों से भारत सरकार FCTC, 2003 के निर्देशों की पालना मात्र से तम्बाकू पर रोक लगाने में सफल हो सकती है।

भारत सरकार द्वारा FCTC, 2003 के निर्देशों से तंबाकू के दुष्परिणामों से मानव जीवन नहीं बचाया जा सकता है, जानते हुए आयोग के नोटिस प्राप्त होने के पश्चात भी विवेक का प्रयोग नहीं किया गया व वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज कर केन्द्रीय तंबाकू अनुसन्धान परिषद (CTRI) की वेबसाईट पर तंबाकू की खेती व कारोबार की लगातार हो रही सफलता के तथ्य आयोग में प्रस्तुत नहीं किये गये।

तंबाकू प्रतिबन्ध विरोधियों द्वारा कुछ दबी जबान से यह भी कहने की चेष्टा की गई है कि तंबाकू से इतनी अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु के आंकडे सही नहीं है। इस सम्बन्ध में तंबाकू पक्ष द्वारा, कोई विशेष, विश्वसनीय

दक्ष व्यक्तियों अथवा विशेषज्ञों की कोई भी विश्वसनीय राय प्रस्तुत नहीं की गई है और विश्व संगठन जिसकी राय, जो लगभग 168 देशों द्वारा स्वीकार है, उसके खंडन की चेष्टा बिना आधार के होने से खारिज की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अगर विश्व में 80 लाख व भारत में 10 लाख से अधिक व्यक्तियों की मौतों से कुछ कम मौतें प्रतिवर्ष होती है तब भी तंबाकू कारोबार पर पूर्ण प्रतिबन्ध ही एकमात्र विकल्प है।

तंबाकू प्रतिबन्ध विरोधियों द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तंबाकू पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध एकदम/अचानक नहीं लगाया जाना चाहिए। तर्क पूर्णतया आधारहीन है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध अगर तत्काल प्रभाव से आज ही लगाया जावे तब भी यह प्रतिबन्ध तंबाकू उत्पादकों व इसके व्यापारियों को दशकों तक अवसर देने के पश्चात ही लगाना होगा।

तंबाकू प्रतिबन्ध के विरोध में सिगरेट व बीडी उत्पादकों व इनके व्यापारियों द्वारा जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया गया है वह अपने आप में ही एक सशक्त साक्ष्य है कि तंबाकू प्रतिबन्ध से गरीब किसान नहीं, बल्कि बडे उद्योगपति व बडे व्यापारी प्रभावित होते हैं। क्या सिगरेट व बीडी के उद्योगपति गरीब तंबाकू कृषकों के लिए यह लडाई लड रहे हैं? इस प्रश्न का

उत्तर स्वयं उद्योगपति व व्यापारी दे सकते हैं, जबकि आमजन को तो इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से ज्ञात है।

आयोग को GODFREY PHILLIPS कंपनी जो कि एक सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की निर्माता कंपनी है, के द्वारा अपने लिखित प्रतिवेदन दिनांक 26 मई, 2018 मैं आर्थिक लाभ/प्रभाव के पहलू बताए गए हैं तथा समिति, COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION (SIXTEENTH LOK SABHA) "THE CIGARETTE AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PACKAGING AND LABELLING) AMENDMENT RULES, 2014" की रिपोर्ट जो लोकसभा सचिवालय में दिनांक 15 मार्च, 2016 को पेश की गई है, की प्रतिलिपि आयोग में प्रस्तुत की गई। **इसमें अंकित आर्थिक पहलू व तथ्य तंबाकू पक्ष लॉबी को समर्थन करने के स्थान पर अपने आप ही तंबाकू उद्योग व कारोबार बंद करने के वहीं आंकड़े काफी है। यही नहीं, जो राजस्व आमदनी बताई गई उससे कई गुना अधिक सरकारी राजस्व हो, तब भी तंबाकू उद्योगों को लाखों लोगों को दर्दनाक बीमारियों से मारने को न सिर्फ अनुचित मानता है, बल्कि आर्थिक आधार पर लाखों लोगों की जान की मांग करने को एक अत्यंत घृणित मांग मानता है।** परंतु आर्थिक आंकड़े, जो स्वयं तंबाकू लॉबी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, वह भी तंबाकू लॉबी को समर्थन नहीं देते हैं और सिर्फ समर्थन ही नहीं देते हैं, बल्कि आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भी तंबाकू

उत्पादों पर राष्ट्र की आर्थिक नीति के अनुसार संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

GODFREY PHILLIPS कंपनी के लिखित प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 7 के अनुसार विश्व भर में तथा भारत में तंबाकू रोग के सघन अभियान के पश्चात भी भारत, विश्व भर में तंबाकू निर्यात करने वाले देशों में दूसरे शिखर पर है। **तंबाकू से राशि रूपये 22,737.07 करोड़ रुपए केंद्र सरकार/राज्य सरकारों को एक्साइज ड्यूटी के मध्य से प्राप्त होती है। रूपये 5,975.08 करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में भारत को वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुए। यानी कुल आय राशि रूपये 28,712.15 करोड़ की आमदनी होती है। जबकि SUBORDINATE LEGISLATION COMMITTEE की रिपोर्ट दिनांक 15 मार्च, 2016 के अनुसार वर्ष 2011 में भारत की अर्थव्यवस्था पर रूपये 1,04,500 करोड का भार पड़ा था।** वर्तमान में यह आर्थिक भार निश्चित रूप से और अधिक बढा होना चाहिए। आर्थिक भार के अलावा टीवी चैनल्स पर तंबाकू से बचाव के लिए जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं, जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं तथा इसके लिए जितने "human working hours" खर्च किए जा रहे हैं, उनके मूल्यांकन के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं है। यह आर्थिक पहलू भी केंद्र सरकार की जानकारी में है व तंबाकू पक्ष लॉबी द्वारा स्वीकृत तथ्य है। **अत: यह नीति निर्धारणकर्ता**

<u>ही जानते हैं कि तंबाकू का कारोबार इस आर्थिक घाटे व लाखों लोगों की मौतों के बावजूद रोके जाने पर क्यों विरोध किया जा रहे हैं?</u> आयोग के अनुसार तंबाकू पर कई दशकों पूर्व संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा कर करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी और भारतीय अर्थव्यवस्था से यह बोझ भी हटाया जा सकता था, परंतु ऐसा अब तक नहीं किया जा सका है।

इस प्रकरण की कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 30 मई, 2019 से ई-सिगरेट व हुक्का इत्यादि के सभी प्रकार के व्यापार, बेचने, उत्पादन इत्यादि पर रोक लगाई गई थी। यह रोक लगाने से पूर्व ई-सिगरेट के हानिकारक प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई। यह विशेषज्ञ समिति, पांच विशेषज्ञ डॉक्टर्स व औषध नियन्त्रक, राजस्थान से बनाई गई। इस विशेषज्ञ समिति द्वारा 6 reference book का अध्ययन कर यह निष्कर्ष दिया गया कि :-

> "*कमेटी सदस्यों का मत है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपभोग से आमजन के स्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों एवं युवाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन पदार्थों का उपयोग तंबाकू की लत छुड़वाने के लिए किए जाने के संबंध में समिति का मत है कि, क्योंकि विश्व स्तर पर तंबाकू की लत को छुड़वाने के लिए स्वीकृत*

एवं सुरक्षित दवाइयां उपलब्ध हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की उपयोगिता संदेहास्पद है।"

अतः राज्य सरकार के लिए तंबाकू व तंबाकू उत्पाद से प्रभावित, पीड़ित और मरने वालों की संख्या के समानान्तर ई-सिगरेट व इससे सम्बन्धित उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना किन कारणों से अत्यावश्यक हुआ जबकि लगभग 55 वर्ष में करोड़ों लोगों की दर्दनाक मौतों के पश्चात भी ई-सिगरेट, जिसका आविष्कार हाल ही में हुआ है और जिसका भारत में व विशेष रूप से राजस्थान में तंबाकू व तंबाकू उत्पादों के सेवन करने वालों की तुलना में उपभोग नगण्य है, उस वस्तु पर प्रतिबंध मात्र इस आधार पर लगाया गया है कि ई-सिगरेट से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल असर ही नहीं, देश में लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनने वाले तंबाकू उत्पादन/ व्यापार/उद्योग पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने हेतु जो मत प्रस्तुत किया गया है वह स्वयं ही गंभीर विरोधाभासी है।

भारत सरकार का पक्ष

चूंकि यह समस्या पूरे भारतवर्ष से संबंधित है तथा विषय केंद्रीय कानून से संबंधित है व विधिक राय जो पक्षकारान द्वारा आयोग को उपलब्ध कराई

गई उसके अनुसार, उचित कानून केंद्र सरकार ही बना सकती है। अतः राज्य आयोग द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2018 में तथ्य व कारणों का उल्लेख कर केंद्र सरकार से यह भी पूंछा गया कि, क्या भारत सरकार द्वारा तंबाकू खेती से अन्य उत्पादों तक सभी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के विषय पर कोई विचार किया गया है अथवा नहीं ? राज्य आयोग द्वारा यह भी पूंछा गया कि, तंबाकू की खेती व उसके सभी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जावे व इससे संबंधित आर्थिक प्रभावों से संबंधित जानकारी भी चाही गई।

राज्य आयोग के आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2018 की पालना में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के साथ एक रिपोर्ट एनेक्सर-ए प्रस्तुत कर बताया गया कि, तंबाकू व इससे होने वाली हानियों से बचाव हेतु भारत में 16 से ज्यादा कानून व नियम प्रभावी हैं। भारत सरकार द्वारा भी COTPA, 2003 के दिशा-निर्देश व अन्य विभिन्न नियमों के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा तंबाकू के प्रभाव रोकने के लिए क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं, यह बताया गया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा यही बताने की चेष्टा की गई है कि COTPA, 2003 तंबाकू व तंबाकू के उत्पादों पर पूरा प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत नहीं करता है। तंबाकू

लॉबी का भी यही कथन है कि, भारत में तंबाकू व्यापार संविधान से सुरक्षित है व COTPA, 2003 में तंबाकू व उसके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान नहीं हैं। जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार व संपूर्ण तंबाकू लॉबी की जानकारी में है कि, मानव अधिकार आयोग धारा 12 (घ), अधिनियम, 1993 के तहत विचार कर विधि द्वारा स्थापित कानूनों में ही नहीं, बल्कि संविधान के उन प्रावधानों, जिनसे मानव अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उनमें भी उचित संशोधन प्रस्तावित करने हेतु अनुशंषाएं कर सकता है। **अगर COTPA, 2003 जैसे कानून, मात्र भारतवर्ष जैसे एक देश में 10 से 14 लाख व्यक्तियों की दर्दनाक मौतों को रोकने में असफल है तो निश्चित रूप से किसी भी मानव अधिकार आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय यही हो सकता है कि, ऐसे कानूनों में तत्काल सुधार कर कुछ आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों, जो लॉबी बना सकते हैं तथा गरीब किसानों व श्रमिकों को हथियार बना सकते हैं, से ऊपर उठकर, तत्काल गम्भीर जानलेवा बीमारियों व एवं लाखों मौतों से आमजन को बचाया जावे।**

केंद्र सरकार को पुनः एक अवसर जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा संक्षिप्त जवाब दिनांक 18 अप्रैल, 2019 से मात्र यही बताया गया कि COTPA, 2003 के प्रावधानों के रहते हुए तंबाकू पर संपूर्ण प्रतिबंध

नहीं लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार व तंबाकू लॉबी एक मत है कि, COTPA, 2003 के प्रावधानों के यथावत रहते हुए तंबाकू व उसके उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं, चाहे भले ही पूरे विश्व में कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग तथा ऐसी ही अन्य कई जानलेवा बीमारियों से 80 लाख मौतें प्रतिवर्ष होती रहे, तो भी COTPA, 2003 जैसे कानून लागू रहेंगे।

राज्य आयोग द्वारा बिना किसी संशय के यह पाया गया है कि, राज्य सरकार व केंद्र सरकार तंबाकू लॉबी के प्रभाव में स्वयं द्वारा बनाए गए कानून, जिसे स्वयं द्वारा बदला जा सकता है, उस कानून के सामने, मानव अधिकारों की रक्षा करने में, लाखों लोगों की मौतों के बावजूद भी तनिक भी विचलित नहीं है।

केन्द्र के जवाब से प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार का यह स्पष्ट मत है कि, भारत का संविधान इतना कमजोर है कि भारत के संविधान के प्रभावी रहते **देश के 10 से 14 लाख लोगों को प्रतिवर्ष मरने से नहीं बचाया जा सकता है। अगर भारत सरकार का यह मत है तब ऐसे समय में मानव अधिकार आयोग कि जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, ताकि सरकार को यह बताया जा सके कि, सभी कानून भारतीय नागरिकों की सेवाओं के लिए है, न कि**

भारतीय नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य को समाप्त करने वाले व्यक्तियों के दास के रूप में काम करने के लिए।

भारत सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जिनमें तंबाकू के संपूर्ण नाश के उद्देश्य हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), स्वयं की कमजोरी के कारण से या अन्य कारणों से अथवा तंबाकू लॉबी के प्रभाव के कारण से तंबाकू पर प्रतिबंध की सलाह भी नहीं दे, तो क्या भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में देश के लाखों लोगों (प्रतिवर्ष) की जान बचाने के लिए सक्षम नहीं है ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय संघठन द्वारा नीति-निर्देश नहीं दिये जाते तो भारत को COTPA, 2003 भी नहीं बनाया जाता ? **कारोबार के लिए, 10 से 14 लाख लोगों की जान लेने की अनुमति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी जाती है।** स्थिति यहां तक आ चुकी है कि तंबाकू लॉबी खुलेआम लिखित में यह कथन कर रही है कि हमारे रोजगार के लिए प्रतिवर्ष लाखों जानें और दर्दनाक मौतें उचित हैं। चाहे भले ही इससे देश की चिकित्सा व्यवस्था व अर्थव्यवस्था ही चरमरा जावे।

तंबाकू लॉबी द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई है वे सब राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जानकारी में है। आयोग के समक्ष *GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED COMPANY* द्वारा लिखित प्रतिवेदन में 22,737.07 करोड़

रुपए व 5,975.08 करोड रुपए, विदेशी मुद्रा में कुल 28,712.15 करोड की राशि के लिए, देश में 10 से 14 लाख व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मौतों की मांग की गई है, ताकि उनका कारोबार चलता रहे। जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है, आर्थिक आंकडे संसद की समिति की रिपोर्ट में तंबाकू के कारोबार से भारत की आर्थिक व्यवस्था पर 1,04,500 करोड रूपये का बोझ व इसके अतिरिक्त सैंकडों करोडों का अन्य आर्थिक बोझ आम जनता पर व चिकित्सा व्यवस्था पर भारी कार्यबोझ बढने के सामने तथ्यात्मक रूप से भी कोई महत्व नहीं रखते हैं। तथा आयोग हर आपत्ति जो लाखों लोगों को मारने से बचाने के विरोध में प्रस्तुत की जाती है उसे सरसरी तौर पर ही नहीं, बल्कि ऐसे किसी भी तर्क को मानव अधिकार का सीधा हनन की सारी सीमाओं को पार करते हुए प्रस्तुत किया हुआ पाता है। अत: मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कोटपा, 2003 कानून पूरी तरह से न सिर्फ कमजोर है, बल्कि यह कानून "counter productive", पूरी तरह से प्रमाणित भी है। COTPA, 2003 के बावजूद पूरे भारत में एक भी गली, कोना, सडक, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो मन्दिर हो, मस्जिद हो, सडक के रास्ते हो, चाहे फुटपाथ हो, खुले आम न सिर्फ तंबाकू उत्पाद, न सिर्फ हर व्यक्ति, बल्कि हर बच्चे को इतनी सुविधा से उपलब्ध है कि इन जहर का स्वाद चखने के लिए प्रोत्साहित हो जाये। अत: निश्चित रूप

से न सिर्फ मानव अधिकारों, न सिर्फ मानव स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानव जीवन के लिए व मानव के नशामुक्त जीवन के लिए भारत सरकार को चाहिए कि भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद-19 (6), सपठित अनुच्छेद-21 के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए तंबाकू व सभी उत्पादों के सभी प्रकार के व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाये।

इसी प्रकार से The Tobacco Institute of India द्वारा तंबाकू से 34,000 करोड वार्षिक व 6,000 करोड विदेशी मुद्रा के टैक्स राजस्व को लाखों लोगों की जान से भी ऊपर होना उचित बताया गया है।

तंबाकू से हानि के लगभग 50 वर्ष की जागरूकता के बाद इस प्रकार के परिणाम होंगे, सोचा भी नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर तंबाकू लॉबी जिसमें मुख्यतः सिगरेट उत्पादक व The *Tobacco Institute of India* के लिखित में ये कथन हैं या शस्त्र उठाने की धमकियां है, यह एक सोचनीय विषय है।

GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED COMPANY द्वारा लिखित कथन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (g) के अनुसार व COTPA, 2003 के अनुसार, इनके व्यापार का मूल अधिकार है और स्पष्ट रूप से यही इंगित किया गया है कि, चाहे भले ही व्यापार के लिए

<u>कितनी ही मौतें व जानलेवा गम्भीर बीमारियां हो जाए, व्यापार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 में सुरक्षित जीवन के अधिकार से ऊपर है।</u>

The Tobacco Institute of India के लिखित कथन में स्वयं के कारोबार को बचाने के लिए श्रमिकों व कृषकों के आतंकवादी बनने का तक का आधार लिया गया है।

संक्षिप्त में तंबाकू लॉबी की ओर से प्रस्तुत आपत्तियां निम्न प्रकार से हैं :-

1. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को तंबाकू से सम्बन्धित किसी भी विधि पर विचार करने का अधिकार नहीं है।
2. केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में COTPA, 2003 बनाया जा चुका है । अत: राज्य सरकार को भी तंबाकू सम्बन्धी विषय तथा व्यापार पर किसी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार नहीं है।
3. तंबाकू का उत्पादन (खेती) व इससे सम्बन्धित किसी कारोबार पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध किसी कानून द्वारा नहीं लगाया हुआ है।
4. तंबाकू के उत्पादन से तंबाकू के कारोबार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (g) के तहत सुरक्षित है व मुक्त व्यापार के

विरूद्ध बनाये गये कोई भी कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (g) के विरूद्ध होगा।

5 अनेकों न्यायिक दृष्टान्तों से भी यह स्पष्ट है कि तंबाकू उत्पादन व तंबाकू उत्पादों के व्यापार इत्यादि पर भारत में प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है।

6. तंबाकू के व्यापार पर इसी प्रकार की रोक से तंबाकू का अवैध व्यापार व अवैध रूप से तम्बाकू व तम्बाकू के उत्पाद आयातित (Smuggling) किये जायेंगे। उत्तम किस्म का तंबाकू उत्पाद नहीं मिलेगा व खराब किस्म के तंबाकू से मानव स्वास्थ्य पर और अधिक खराब असर पडेगा।

7. सरकार की व्यापार प्रतिबन्ध की नीति सफल नहीं हुई है और न हो सकती है।

8. प्रतिबन्ध लगाने से लगभग 4 करोड 50 हजार लोग भारत में बेरोजगार हो जायेंगे।

9. *Smokeless tobacco federation of India* द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय समितियों, जिनमें अमेरिका की हाऊस कमेटी सम्मिलित है, के द्वारा यह माना गया है कि

सिगरेट की Smuggling से आतंककारी संगठन जैसे अलकायदा, हैजबोला, आईआरए व तालिबान आदि को आर्थिक लाभ होगा व भारत लम्बे समय से आतंककारी गतिविधियों से परिणाम भुगत रहा है। अत: भारत सिगरेट की Smuggling का अवैध पैसा ऐसी आतंककारी गतिविधियों को देना उचित नहीं समझेगा।

10. प्रतिबन्ध लगाने से, *GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED COMPANY* के अनुसार, लगभग 6,000 करोड रूपये का वार्षिक नुकसान होगा।

11. बीडी उद्योग व बीडी श्रमिकों द्वारा भी बेरोजगारी इत्यादि की आपत्तयों सहित आयोग में यह पक्ष भी रखा गया कि, बीडी उद्योग में तंबाकू की खेती से लगाकर बीडी बनाकर उनके पैकेट्स को बाजार में बेचने के कारोबार में किन्ही व्यक्तियों को कैंसर होना नहीं पाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि बीडी के सेवन से बीडी पीने वालों को कैंसर नहीं होता है, यह बीडी उद्योग का पक्ष नहीं है।

12. The *Tobacco Institute of India,* नई दिल्ली द्वारा सिगरेट क्षेत्र के तंबाकू कृषकों, उत्पादकों, निर्यातकों के प्रतिनिधि के रूप में

कहा गया है कि तंबाकू की फसल पर निर्भर व्यक्तियों की श्रेणी में भारत सर्वोच्च शिखर पर है। (यह तथ्य अकेला ही तंबाकू की हानियों से जागरूक कर तंबाकू सेवन समाप्त करने के भारत के दावों की पूरी पोल खोल देता है।)

यह शर्मनाक स्थिति तंबाकू से कैंसर होने के प्रमाण मिलने के 55 वर्ष के पश्चात, विश्व की सरकारों के सबसे बडे संगठन द्वारा कैंसर की हानियों के बारे में विश्व की सभी सरकारों को ही नहीं, बल्कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने के पश्चात, विश्व की सरकारों द्वारा तंबाकू से कैंसर, हृदय रोग व फैंफडों की गम्भीर बीमारियां होने तथा इन बीमारियों से दर्दनाक मौतें होने, प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के गम्भीर रूप से विपरीत प्रभावित होने, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण आर्थिक भाग पर उपरोक्त बीमारियों के ईलाज के रूप में आम नागरिकों व जन-धन पर भारी विपरीत प्रभाव पडने व पर्यावरण पर भारी विपरीत पडने के बावजूद एवं निर्दोष व्यक्ति जो तम्बाकू का सेवन नहीं करते हैं और बच्चों व महिलाओं को भी तंबाकू के उपयोग करने से कैंसर, हदय रोग, फैंफडों के रोग होने व दर्दनाक मौतें होने तथा इन सभी तथ्यों से ऊपर तंबाकू पर संपूर्ण प्रतिबन्ध लगाने पर सरकारें अवैध व्यापार को नहीं रोक सकेगी और सरकारें इस अवैध व्यापार का पैसा आतंककारी संगठनों तक

पहुंचने से नहीं रोक सकेगी, बेरोजगारी (जैसी बताई जाती है वैसी प्रमाणित नहीं है), बडी कम्पनियों के व्यापार व आर्थिक लाभ इत्यादि जैसी तमाम आपत्तियां जब स्वयं सरकार द्वारा परोक्ष रूप से स्वीकृत है, ऐसी सूरत में तंबाकू लॉबी द्वारा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को जिस गम्भीरता से लिया गया है, यह राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए निश्चित रूप से गर्व का विषय है।

आयोग के अनुसार, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तंबाकू लॉबी विश्वभर में जबर्दस्त प्रभाव रखती है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि विश्व के लगभग 168 राष्ट्रों के संगठन व विश्व की लगभग सभी सरकारों द्वारा अपने आपको तंबाकू लॉबी से कमजोर न सिर्फ घोषित किया है, अपितु तंबाकू लॉबी के सामने लिखित में राज्य आयोग के सामने एक ही नतीजा प्रस्तुत किया है कि केन्द्र व राज्य सरकार तम्बाकू की खेती व इससे सम्बन्धित तमाम मानव हत्या करने वाले उत्पादों पर किसी भी सूरत में, चाहे विश्व में कैंसर जैसे खतरनाक रोग से 80 लाख लोग प्रतिवर्ष मारे जायें व लाखों लोगों को हृदय व फेफडों के रोगों से बीमार होना पडे व राष्ट्र को पर्यावरण का नुकसान हो, प्रदूषण हो, 7,000 से ज्यादा हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में फैलें, हजारों या लाखों हैक्टर कृषि उपयोगी भूमि इस उद्योग में लगे, तब भी केन्द्र सरकार व राज्य सरकार,

जिनके भी अधिकार क्षेत्र में है, तंबाकू उत्पादन व उससे सम्बन्धित व्यापार पर प्रतिबन्ध, मात्र कुछ हजार करोड रूपये प्रतिवर्ष की आमदनी के कारण से या अवैध व्यापार के डर से व अवैध व्यापार का धन आतंककारियों के हाथों में पहुंचने को सरकार नहीं रोक सकती है, यह परोक्ष रूप से स्वीकार कर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो तंबाकू लॉबी से सावधान रहने की व तंबाकू लॉबी से लडने की इच्छाशक्ति जाहिर की है, उसे मानने से पूरी तरह से इन्कार कर दिया गया है। तंबाकू लॉबी क्या करती है, और क्या कर रही है, आयोग के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। आयोग का स्पष्ट मत है कि तंबाकू लॉबी द्वारा रखे गये तमाम बिन्दुओं पर आयोग की स्पष्ट अनुशंषा है कि, तम्बाकू की खेती से लगाकर तम्बाकू के किसी भी उत्पाद के कारोबार पर सम्पूर्ण प्रतिवबन्ध लगाने के लिए जो भी कानून बाधा बनें, उन्हें ही नहीं, बल्कि आवश्यकता होने पर भारतीय संविधान में भी उचित संशोधन कर भारत में कम से कम 10 लाख लोगों को कैंसर व अन्य बीमारियों से बीमार होने व मारे जाने से रोका जावे। आयोग का स्पष्ट मत है कि भारतीय संविधान भारत की जनता के लिए बनाकर स्वीकार किया गया है। अगर तंबाकू लॉबी ही नहीं, बल्कि सरकार का भी कथन कि COTPA, 2003 के तहत तम्बाकू व्यापार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है या अब तक नहीं लगाया गया है, तब

शायद संविधान निर्माताओं द्वारा यह सोचा भी नहीं गया होगा कि भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसा संविधान बनाया गया है जो लाखों मानव जीवन से कुछ लोगों के कारोबार को ऊपर रखा जायेगा और मानव जीवन को कारोबार के लिए खरीदा जा सकता है। आयोग का मत है कि इतनी भयंकर भूल संविधान निर्माताओं द्वारा नहीं, बल्कि सरकार के अधिकारियों की सोच का परिणाम है।

इस प्रकरण में वर्ष 2017 में प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाने के पश्चात गुटखा व पान मसाले में निकोटिन सम्मिलित सामग्री के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा भी ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इन प्रतिबन्धों का आधार सामग्री में निकोटिन व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ होना बताया गया है। जबकि स्वीकृत रूप से ई-सिगरेट, पान मसाला, गुटखा में सम्मिलित हानिकारक पदार्थों से अधिक हानिकारक तंबाकू, बीडी-सिगरेट है, परन्तु दशकों तक प्रतिवर्ष लाखों लोगों को दर्दनाक बीमारियों से मारने वाले इस उद्योग व व्यापार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। **क्या सरकार का तात्पर्य है कि जब शुद्ध जहर सेवन के लिए उपलब्ध है तो मिलावटी जहर का प्रयोग क्यों किया जाये ?**

आयोग द्वारा विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ऐसा एक भी कारण नहीं पाया गया जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों को मारकर कारोबार करने की छूट दी जावे और संविधान के अनुच्छेद- 21 की पालना नहीं की जाये और न ही संविधान के अनुच्छेद-19 (6) की शक्तियों का प्रयोग किया जाये। क्या यह लॉबी के प्रभावी होने का अन्तिम प्रमाण (conclusive proof) नहीं है? लॉबी द्वारा शस्त्र या हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया है, तब किस प्रकार से दबाव बनाया गया है, इस पर आयोग स्वयं को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु प्रभाव प्रमाणित है।

किसी भी व्यक्ति समूह, चाहे भले ही वह काश्तकार हो या श्रमिक हो, जो कि वास्तव में तंबाकू पर प्रतिबन्ध लगाने से इतने अधिक प्रभावित नहीं हो सकते हैं, जैसेकि बताया गया है, चाहे इन कृषकों व श्रमिकों की संख्या कुछ करोड बताई जा रही है और यह आंकडा भी संदिग्ध है और अगर यह सही भी है तब भी श्रमिक अन्य कार्य कर सकते हैं, कृषक उसी कृषि भूमि पर अन्य कृषि कार्य कर सकते हैं तथा जो भी इस प्रतिबन्ध से गरीब तबका बेरोजगार होता है उनके लिए जैसा भी विकल्प ढूंढा जा सकता है व विकल्प ढूंढकर समस्या का निदान किया जा सकता है। परन्तु जो वास्तविक प्रभावित व्यक्ति है वह बहुत ही बडे उद्योगपति व व्यापारी है जिनके द्वारा काश्तगारों

व श्रमिकों को स्वयं के स्वार्थ के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम में लिया जा रहा है, यह तथ्य आयोग में इसी प्रकरण की कार्यवाही से पूरी तरह से प्रमाणित है। अगर यह नहीं हो, तो भी ऐसा कोई कारण विश्व में नहीं हो सकता है जिससे कोई सरकार लाखों लोगों को प्रतिवर्ष मारकर, कुछ लोगों का कारोबार जारी रखने की अनुमति दे सकती हो। जीवन के अधिकार से ऊपर कोई अधिकार नहीं है और भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार किसी भी कारोबार पर जनहित में पूर्ण प्रतिबन्ध लगा सकती है। अत: इस कारोबार पर पूर्ण प्रतिबन्ध ही एकमात्र मार्ग उपलब्ध है।

तंबाकू पक्ष लॉबी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने पर श्रमिक व कृषक (शायद व्यापारी व उद्योगपति नहीं) नक्सलवादी व आतंकवादी बन जायेंगें। यह आधारहीन तर्क एक खोखली धमकी मात्र है। भारत में कुछ क्षेत्र विशेष वह भी एक दो जगह कुछ समय के लिए नक्सलवादी आन्दोलन हुआ व कुछ जगह राजनैतिक कारणों से आतंकवादी बाहर से आये। भारत में बेरोजगारों की संख्या देखते हुए व हर राज्य में बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए ही स्पष्ट है कि बेरोजगारी के कारण से न तो कोई आतंकवादी बना न कोई नक्सलवादी बना। यह सही है कि गरीबी का फायदा लेकर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा कुछ व्यक्तियों को हथियार उपलब्ध

करा दिये गये। निश्चित रूप से आतंकवादी व नक्सलवादी का तर्क आधारहीन व पूरी तरह से दुर्भावनाग्रस्त तर्क है जिसे खारिज किया जाता है।

तम्बाकू प्रतिबन्ध के विरोध में प्रस्तुत सम्पूर्ण तथ्यों व विधिक आपत्तियों पर गम्भीरता से विचार करने के पश्चात आयोग का निष्कर्ष है कि तंबाकू से एक जानलेवा बीमारी कैंसर होती है जिससे भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में कई दशकों से लाखों व्यक्तियों की मौतें हो रही है तथा भारत में वर्तमान में प्रभावी COTPA, 2003 व उसके पूर्व के कानून लाखों लोगों की बीमारी व मौत को बचाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। भारत सरकार को यह कथन करने का अधिकार नहीं है कि vkभारत के संविधान के अनुच्छेद-19 (6) के तहत नशा व स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले तम्बाकू के उत्पादन, व्यापार तथा कारोबार पर, बेरोजगारी व आमदनी के नुकसान के आधार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाये। तंबाकू से आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा व जीवन रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से तंबाकू प्रतिबन्ध विरोधी पक्ष की तमाम आपत्तियों को खारिज कर भारत व भारत के बाहर के मानव जीवन को गम्भीर और दर्दनाक जानलेवा बीमारी, कैंसर व अन्य बीमारियों व इन बीमारियों से होने वाली मौतों से बचाने हेतु अपने संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत अनुच्छेद - 21 (जीवन का अधिकार) का निर्वहन करने के लिए अनुच्छेद-19 (6) के अधिकारों

का प्रयोग कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Khoday Distilleries Ltd.** के प्रकरण व उसके पूर्व के दिये गये निर्णयों की पालना करें, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद-21 से सुरक्षित जीवन के अधिकार जिसमें न सिर्फ जीवन, बल्कि स्वस्थ जीवन व उच्च स्तर का जीवन सम्मिलित है, ऐसे जीवन की रक्षा करें। आयोग स्पष्ट करता है कि आयोग की राय में भारत के नागरिक व आमजन व विश्व के आमजन के जीवन की रक्षा करना किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं, बल्कि जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रत्येक सरकार का संवैधानिक दायित्व है जिसे कोई भी सरकार किसी भी आधार पर इन्कार नहीं कर सकती है।

भारत के वर्तमान व पूर्व में तंबाकू सम्बन्धित कानून भारत के नागरिकों व आमजन के जीवन के अधिकार/मानव अधिकारों की सुरक्षा में कई दशकों से नाकाम प्रमाणित होकर तंबाकू के उत्पादक, व्यापारी व उद्योगपतियों को स्पष्ट रूप से तंबाकू कृषकों को ढाल के रूप में काम में लेने व मानव जीवन समाप्त कर मानव जीवन पर कमाई की पूरी छूट देते हैं जो कि तंबाकू प्रतिबन्ध विरोधी, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार स्वयं द्वारा आयोग में प्रस्तुत जवाब से पूरी तरह से प्रमाणित है। प्रतीत होता है इसी कारण से केन्द्र सरकार व

राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के दिशा-निर्देश मात्र के अनुरूप भारत सरकार कार्य कर रही है। ***भारत सरकार द्वारा यह नहीं बताया गया कि किन कारणों से भारत सरकार, भारत में व विश्व में लाखों व्यक्तियों की जान लेने वाले कारोबार को स्वयं के संविधान के द्वारा दी गई जिम्मेदारी से रोकने का विचार नहीं रखती है। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि भारत सरकार द्वारा विश्व में व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान बचाने से ज्यादा व्यापारी व उद्योगपतियों के आर्थिक हित को प्राथमिकता दी गई है।*** भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है। किसी अन्तर्राष्टीय संगठन, जिसके स्वयं के द्वारा बार-बार यह स्वीकार किया गया है कि तंबाकू लॉबी विश्व स्तर पर अत्यन्त प्रभावशाली लॉबी है और ऐसे संगठन द्वारा तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग नहीं करना अपने आप में एक अत्यन्त आश्चर्यजनक व चिन्तनीय विषय है, के दिशा-निर्देश मात्र पर कार्य कर अपनी संतुष्टि आयोग के सामने रखी गई है।

जहां तक आयोग के अधिकार क्षेत्र की आपत्ति का प्रश्न है, आयोग के कृत्य व शक्तियां (functions and powers) में कई सारे कृत्य (functions) सम्मिलित हैं। धारा 12, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के भाग

(क) में मानव अधिकार हनन के प्रकरणों के सम्बन्ध में जांच (enquiry) कर प्रभावित व्यक्ति धारा 18 के तहत अन्तरिम मुआवजा/अन्तिम मुआवजा दिलाये जाने की अनुशंषा करने के प्रावधान हैं। धारा 12 (क) उपरोक्त विषय पर एक स्वतन्त्र प्रावधान है। जिन प्रकरणों में आयोग को धारा 12 (क) में जांच कर आदेश पारित किये जाने हैं, मात्र उन्हीं प्रकरणों के विषय पर धारा 21 (5) द्वारा सीमा अंकित की गई है। जिन मानव अधिकार हनन के प्रकरणों में जांच (enquiry) की जानी है, उन प्रकरणों में राज्य आयोग मात्र भारतीय संविधान की अनुसूची 07 की सूची II व III में उल्लेखित विषयों पर ही जांच (enquiry) कर अनुशंषा कर सकेगा।

धारा 12 (घ), आयोग का एक स्वतन्त्र कृत्य (कार्य) है। धारा 12 (घ) के अन्तर्गत आयोग को कोई जांच (enquiry) नहीं करनी होती है। धारा 12 (घ) की भाषा से भी स्पष्ट है कि मानव अधिकार आयोग चाहे राष्ट्रीय मानव अधिकार हो या राज्य मानव अधिकार हो, दोनों को धारा 12 (घ) सपठित धारा 29 के तहत विधि के उन प्रावधानों पर अनुशंषा करने का अधिकार है जिन विधि के प्रावधानों से मानव अधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा नहीं हो सकती है। राज्य आयोग को विशिष्ट रूप से धारा 12 (घ) के तहत कार्य करने के लिए धारा 29 अधिनियम, 1993 से अधिकार दिये गये हैं। यहां यह भी

उल्लेखनीय है कि अधिनियम, 1993 की धारा 29 के अनुसार अधिनियम, 1993 की धाराएं 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 व 18 राज्य आयोग के लिए लागू की गई है। जिन प्रावधानों को राज्य आयोग पर लागू नहीं करना था उन्हें धारा 29 से राज्य आयोग के लिए हटा दिया गया है। धारा 12 में से भी मात्र उपधारा (f) को हटाया गया है। धारा 12 (घ), (g), (h), (i) व (j) के तहत राज्य आयोग को इस विषय पर अनुसंधान (Research) धारा 12 (घ) आमजन को मानव अधिकार से अवगत कराना, अर्थात आमजन को बताना कि आमजन के मानव अधिकार में, जीवन का अधिकार, स्वस्थ जीवन का अधिकार शामिल है और तंबाकू से मानव जीवन को जानलेवा खतरा है (धारा 12 (h)) तथा मानव अधिकारों की रक्षा हेतु अन्य आवश्यक कार्य करने का अधिकार (धारा 12 (j)) के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग को है। जो भी विधिक राय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह अधिनियम, 1993 की धारा 12 (घ) सपठित धारा 29 के प्रावधान के विपरीत होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा यह आपत्ति नहीं की गई है कि इतने गम्भीर विषय पर पूर्व में कोई भी आयोग द्वारा विचार किया जाकर निर्णय दिया जा चुका है। अत: राज्य आयोग

इस विषय पर विचार कर निष्कर्ष व अनुशंषा सक्षम सरकार, चाहे भले ही, केन्द्र सरकार हो, को विचारार्थ प्रेषित कर सकती है।

आयोग यहां पर यह टिप्प्णी भी करना चाहेगा कि एक ओर तम्बाकू लॉबी का कथन है कि भारत में संविधान के अन्तर्गत व भारत के बने कानूनों के अन्तर्गत उन्हें लाखों लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से मारने का अधिकार है, तब कोई हर्ज नहीं है कि राज्य आयोग क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भी लाखों लोगों को न सिर्फ कैंसर जैसी दर्दनाक जानलेवा बीमारी, हृदय रोग, फैंफडों के रागों से मौत से बचाने के लिए, भारत पर से आर्थिक बोझ कम करने, चिकित्सा व्यवस्था पर से बोझ कम करने तथा आमजन को आर्थिक रूप से टूटने से बचाने के लिए कार्य करें।

तंबाकू व्यापार पक्ष द्वारा अनेकों न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर जो भी तर्क रखे गये हैं वे तर्क मात्र इस सम्बन्ध में हैं कि, तंबाकू सम्बन्धी कानून बनाने का एकमात्र अधिकार भारतीय संसद को है, क्योंकि यह विषय भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची संख्या I की प्रविष्टि संख्या 52 में होने से किसी राज्य को तंबाकू के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इस विधिक स्थिति पर कोई विवाद नहीं है। आयोग द्वारा इस विधिक आपत्ति के

पश्चात केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर केन्द्र सरकार से केन्द्र सरकार का पक्ष प्राप्त किया जा चुका है। केन्द्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा जो आपत्ति तंबाकू पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है उस आपत्ति का निराकरण होकर केन्द्र सरकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा चुका है। अत: यह आपत्ति बेमकसद (infructuous) हो चुकी है।

अन्य विधिक आपत्तियां जिन न्यायिक निर्णयों पर आधारित है उन न्यायिक निर्णयों में भी यही निर्णित किया गया है कि कोटपा, 2003 से अतिरिक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश, प्रशासनिक आदेश (executive instructions/orders) से नहीं लगाया जा सकता है। इन निर्णयों में यही निर्धारित किया गया है कि संसद द्वारा अब तक तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: इन कारणों से राज्यों द्वारा लगाये गये अतिरिक्त प्रतिबन्धों को निरस्त किया गया है। जहां तक तंबाकू जानलेवा बीमारी का कारण है, यह तथ्य केन्द्र सरकार द्वारा COTPA, 2003 के 'aims and objects' में ही स्वीकार किया हुआ है और इस तथ्य का उल्लेख माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, मुरली. एस. देवडा बनाम भारत संघ व अन्य, 2001 Supp. (4) SCR 650 में उल्लेख भी किया गया है।

अत: आयोग पुन: उल्लेख करेगा कि आयोग के समक्ष एकमात्र बिन्दु विचारणीय है कि क्या तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जावे, इस विषय पर न्यायिक निर्णयों में मात्र यही अंकित किया गया है कि केन्द्र सरकार/भारतीय संसद द्वारा अब तक ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। राज्य आयोग ऊपर अंकित तथ्यों द्वारा केन्द्र सरकार के सामने तमाम कारण प्रस्तुत कर रहा है, ताकि केन्द्र सरकार कानून की इतनी भारी कमी को दूर करें व मानव अधिकारों की ही नहीं, बल्कि लाखों मानव जीवन की रक्षा करें, यह अनुशंषा लगभग अविवादित तथ्यों व विधि के प्रावधानों के अनुरूप आयोग द्वारा प्रेषित की जाती है। चूंकि प्रकरण में प्रस्तुत सभी न्यायिक निर्णय, भिन्न-भिन्न तथ्यों व भिन्न-भिन्न विषयवस्तुओं पर दिये गये थे तथा तथ्यों पर उक्त निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। तंबाकू पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी न्यायिक निर्णयों में लगभग सभी यही घोषित किया गया है कि, (1) इस विषय पर कानून केन्द्र सरकार ही बना सकती है। (2) इस विषय पर राज्य सरकार कानून नही बना सकती है। (3) अब तक केन्द्र सरकार द्वारा तम्बाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध का कानून नहीं बनाया गया है। (4) किसी भी निर्णय में यह घोषित नहीं है कि तंबाकू पर प्रतिबन्ध का कानून ही नहीं बना सकती है। (5) लगभग सभी न्यायिक दृष्टांतों में ऐसी टिप्पणियां हैं जिनमें तम्बाकू को अत्यन्त हानिकारक

पदार्थ माना गया है।

आयोग इन्हीं न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार केन्द्र सरकार की जानकारी में इस तथ्य को प्रस्तुत कर रहा है कि देश का तंबाकू सम्बन्धी कानून व वर्तमान में COTPA, 2003 तंबाकू से आमजन को बचाने में नाकाम है और यह कानून COTPA, 2003 लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा तंबाकू प्रतिबन्ध लगाने में बाधा बना है। अत: केन्द्र सरकार इस कानून को पूर्णतया समाप्त कर नया, तम्बाकू पर पूर्ण प्रतिबन्ध का कानून बनाये, जो मात्र केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है।

तंबाकू का सम्पूर्ण उत्पादन से उद्योग व व्यापार व उपयोग मानव अधिकारों का गम्भीर हनन ही नहीं मानव जीवन का नाश करता है, अत: इस पर प्रतिबन्ध जनहित में ही नहीं, बल्कि अत्यन्त आवश्यक प्रतिबन्ध है।

अत: राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग अनुशंषा करता है कि, केन्द्र सरकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 21 के तहत सुरक्षित आमजन के स्वस्थ जीवन व जीवन की रक्षा हेतु संविधान के अनुच्छेद-19 (6) में दिये गये अधिकारों का प्रयोग कर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें व तम्बाकू की खेती से तम्बाकू के किसी भी उत्पाद के निर्माण, भणडारण, बेचान/खरीद मानव उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु कानून

बनाये। तम्बाकू व तम्बाकू से सम्बन्धित तमाम कारोबार खेती से अन्तिम उत्पाद तक के कार्य दण्डनीय अपराध घोषित किये जायें। इन अपराधों के लिए अलग-अलग श्रेणी के अपराध बनाये जाकर सीधे कैंसर करने वाले घातक उत्पाद बनने वालों के लिए न्यूनतम आजीवन कारावास व अधिकतम मृत्युदण्ड तक निर्धारित किया जाये, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आमजन को धीरे-धीरे प्राणलेवा बीमारियों जैसे कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारियों के बीज नहीं बेच सकें। इन संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की पालना करें।

निष्कर्ष :-

1. तम्बाकू, तम्बाकू कारोबार की सफलता व तम्बाकू कानून की असफलता के आधिकारिक तथ्य :-

    I. तंबाकू मानव जीवन व स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है व कैंसर, हृदय रोग, श्वास रोग तथा फेंफडों के रोग उत्पन्न करता है, यह तथ्य विश्व स्तर पर, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तथ्य है।

II. वर्तमान में विश्व में, 15 वर्ष की आयु से अधिक 100 करोड़ से अधिक व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं और प्रतिबंध तम्बाकू सेवन से बच्चों को बचाने के लिए लगाए जाते हैं।

III. वयस्क व्यक्तियों को तम्बाकू की बिक्री के औचित्य के सम्बंध में एक भी तर्क नहीं रखा गया है।

IV. विश्व में प्रति वर्ष 4.96 ट्रिलियन से बढकर 6.25 ट्रिलियन अर्थात 4 लाख 96 हजार करोड से बढकर 6 लाख 25 हजार करोड सिगरेट जलायी जाती है। (Wikipidia)

V. धूम्रपान से 7,000 से अधिक रसायन उत्पन्न होते हैं इनमें से 250 रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा 69 रसायन कैंसर कारित करते है।

VI. तथ्यों से यह प्रमाणित है कि तंबाकू से विश्व में लगभग 80 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं।

VII. उपरोक्त 80 लाख मौतों में से **तम्बाकू सेवन नहीं करने वाले** लगभग 12 लाख लोग प्रति वर्ष तंबाकू के दुष्प्रभाव (second-handsmoke) से मरते हैं।

VIII. प्रतिवर्ष विश्व में 65,000 बच्चे तंबाकू (second-hand smoke) से मरते हैं।

IX. तम्बाकू के दुष्प्रभाव से होने वाली यह मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं होकर अत्यंत दर्दनाक बीमारी, कैंसर से होती है जिससे व्यक्ति तड़प-तड़पकर मरता है और व्यक्ति का परिवार अपने परिजन को तड़प-तड़पकर मरते देखता है और आर्थिक रूप से टूट जाता है।

X. तंबाकू से कैंसर के अलावा हृदय रोग व फेफड़ों के रोग होते है।

XI. तम्बाकू का प्रयोग धूम्रपान के अलावा सीधे खाने के लिए भी किया जाता है जिससे मुँह का कैंसर और अधिक मात्रा में होता है।

XII. तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग इत्यादि से विश्व की अधिकांश देशों की चिकित्सा व्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है ।

XIII. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का सर्वाधिक बोझ आर्थिक रूप से कमज़ोर व मध्यम स्थिति के देशों पर होता है जिसकी कीमत विश्व स्तर पर वार्षिक 1.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर (1 लाख 40 हजार करोड रूपये) है।

XIV. विश्व में तंबाकू उत्पादन के लिए 43 लाख हेक्टर कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है।

XV. तंबाकू उत्पादन से प्रति वर्ष 20 लाख टन ठोस अपशिष्ट (solid west) उत्पन्न होता है।

XVI. विश्व के कुल कूड़े (litter) में से 30-40 प्रतिशत कूड़ा प्रतिदिन मात्र सिगरेट के टुकड़े से उत्पन्न होता है।

XVII. तम्बाकू से भारत में लगभग 10 लाख से अधिक लोग प्रति वर्ष मरते हैं।

XVIII. भारत में तंबाकू प्रयोग को रोकने के कानूनों के बावजूद 800 मिलियन टन तम्बाकू का उत्पादन किया जाता है।

XIX. भारत में तंबाकू की क़िस्म को उन्नत कर तंबाकू उत्पादन को बढ़ाने के लिए Central Tobacco Research Institute (CTRI) द्वारा लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं और गत 70 वर्ष में CTRI द्वारा 94 तंबाकू की नई क़िस्म के बीज तम्बाकू कृषकों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं और सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि सरकार जागरूकता अभियान व कानून बनाकर तंबाकू सेवन से लोगों को बचने की सलाह दे रही है और आम जन को तंबाकू से बचाने का प्रयास कर रही है।

XX. CTRI के अनुसार तम्बाकू की कीमत 28 रुपये प्रति किलोग्राम (*1988-97*) से बढ़कर 110 रुपये प्रति किलोग्राम (*2008-17*) हो चुकी है। CTRI के अनुसार इसका एक महत्वपूर्ण कारण विश्व में भारत की *FCV* तम्बाकू की माँग बढ़ाना है। अतः विश्व स्तर पर तंबाकू की हानियों के जागरुकता अभियान व तम्बाकू के सेवन से रोक पर बनाये गये कानूनों के बावजूद

विश्व स्तर पर तम्बाकू की माँग बढ रही है, भारत की एक अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वीकृत तथ्य है।

XXI. CTRI के अनुसार तम्बाकू का निर्यात दुगुने से अधिक, 2.7 गुना (90 मिलियन किलोग्राम से 244 मिलियन किलोग्राम) मात्रा में व 11 गुना (रू. 451 करोड़ से 5030 करोड़) कीमत में गत 30 वर्षों में बढ़ा है ।

XXII. CTRI के अनुसार *FCV* तम्बाकू उत्पादन से कृषकों की आमदनी रू. 78,009/- प्रति हैक्टर से बढ़कर रू. 1,24,954/- प्रति हैक्टर, मात्र गत 4 वर्ष (2014-15 से (2017-18) में हो चुकी है और सरकार व विश्व स्वास्थ्य संगठन तम्बाकू सेवन से आमजन को कई दशकों से बचाने के प्रयत्न करने के दावे कर रहे हैं।

XXIII. तंबाकू की रोकथाम के लिए बनाए गये अत्यंत कमजोर कानून के कारण से आज भारत विश्व में दूसरे और तीसरे नम्बर पर तम्बाकू का उत्पादन करने वाला देश बन चुका है।

2. COTPA, 2003 से बच्चों को भी तम्बाकू से दूर नहीं रखा जा सकता है। स्कूलों से 100 गज क्षेत्र में तम्बाकू विक्रय पर रोक, बच्चों को तम्बाकू सेवन से रोकने का कोई प्रभावी नियम नहीं है, क्योंकि तम्बाकू की बिक्री हर शहर की सड़क, गली में हो रही है।
3. तम्बाकू मात्र वयस्क को ही दी जाये, ऐसे कानून की पालना की ही नहीं जा सकती है। तम्बाकू बिक्री की हज़ारों दुकानों, ठेले, खोमचों पर यह नज़र रखी ही नहीं जा सकती है कि कौन कब अवयस्क को तम्बाकू बेच रहा है।
4. COTPA, 2003 के कारण या इससे पहले के कानून से बीड़ी-सिगरेट के कारोबार में कमी होने का कोई प्रमाण नहीं है। किसी कम्पनी द्वारा आर्थिक हानी होना या स्वयं के श्रमिकों की छटनी करने का कथन नहीं किया गया है। इसके विपरीत तंबाकू कारोबार में COTPA, 2003 को लागू करने के पश्चात लगातार वृद्धि हो रही है।
5. भारत सरकार द्वारा FCTC, 2003 के आधार पर COTPA, 2003 कानून बनाए जा कर अपने कर्तव्य की पूर्ण पालना करने का कथन गलत रूप से किया गया है। भारत सरकार द्वारा FCTC, 2003

की धारा 2 में विश्व के देशों को स्पष्ट रूप से FCTC, 2003 में किए गए प्रावधानों से अधिक सख़्त कानून बनाने हेतु जो स्पष्ट संदेश दिया गया है उसका प्रयोग नहीं कर FCTC, 2003 को गलत रूप से अधिक सख़्त कानून नहीं बनाने के लिए गलत आधार लिया गया है। FCTC, 2003 की धारा दो निम्न प्रकार से हैं :-

Article 2 FCTC, 2003

Relationship between this Convention and other agreements and legal instruments

1. In order to better protect human health, parties are encouraged to implement measures **beyond** those required by this Convention and its protocols, and nothing in these instruments shall prevent a party from **imposing stricter requirements** that are consistent with their provisions and are in accordance with international law.

6. अगर FCTC, 2003 में तंबाकू के संपूर्ण कारोबार पर व खेती पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया होता तब भी भारत सरकार का भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत

संवैधानिक दायित्व था कि भारत व विश्व की जनता को तंबाकू से होने वाली दर्दनाक मौतों से बचाये। लाखों लोगों के जीवन को बचाना किसी सरकार के विवेक (Discretion) पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह सरकार का भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 व 19 (6) के अंतर्गत संवैधानिक दायित्व है।

7. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (g) किसी व्यक्ति को भारत में व्यापार करने का स्वेच्छाचारी अथवा अनियंत्रित अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) **के अंतर्गत दिए गए सभी अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 भाग (2) से (6) तक से नियन्त्रित है।** भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) का प्रासंगिक भाग (g) व अनुच्छेद 19 (6) निम्नलिखित है:-

Article 19 in The Constitution Of India 1949

19. Protection of certain rights regarding freedom of speech etc

(1) All citizens shall have the right

(a) to (f) .....(deleted)

(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business

Article 19(6) in The Constitution Of India 1949

(6) ***Nothing in sub clause (g) of the said clause shall*** affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or ***prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause, and, in particular, nothing in the said sub clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,***

(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or

(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.

8. **तम्बाकू पक्ष द्वारा प्रस्तुत तमाम आपत्ति, बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, बेरोजगारों का आतंकी बन जाने अथवा नक्सलाइट बन जाने की धमकी, अवैध व्यापार के बढ़ने की आशंका और अवैध**

व्यापार का धन आतंककारियों तक पहुँचने का भ्रम फैलाने के प्रयास ख़ारिज किये जाते है ।

9. **हज़ारों करोड़ों की राजस्व हानि के नाम पर लाखों लोगों की जान लेने के व्यापार व उद्योग की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। यही नहीं हज़ारों करोड़ की राजस्व हानि के नाम पर किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी के बीज बेचने का व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।**

10. **स्वयं सरकार द्वारा ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पश्चात, केन्द्र व राज्य सरकार को ई-सिगरेट से अधिक हानिकारक तम्बाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा इत्यादि के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से इंकार करने का अधिकार नहीं रहता है।**

11. **सरकार द्वारा यह स्वीकृत है कि तंबाकू मानव जीवन के लिए हानिकारक है और स्वयं राज्य सरकार द्वारा ई सिगरेट व तंबाकू युक्त गुटका पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात तम्बाकू के अन्य उत्पादों, जिनका सेवन केवल मनुष्य करते हैं उन पर प्रतिबंध नहीं लगाने का तात्पर्य क्या यह लगाया जाए कि जब शुद्ध ज़हर मिल रहा है, तब मिलावटी ज़हर का सेवन क्यों किया जाए ?**

12. **तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने से भारत में अवैध कारोबार बढ़ेगा, यह कथन तथ्यात्मक रूप से स्वयं तम्बाकू लॉबी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से ग़लत प्रमाणित है। तंबाकू पक्ष द्वारा पक्ष रखा गया है कि भारत में वर्ष 2008 से अब तक अवैध तम्बाकू का कारोबार 31% तक बढ़ चुका है और भारत सिगरेट के अवैध कारोबार में विश्व में पांचवें नंबर पर पहुँच चुका है। अत: स्वयं तंबाकू लॉबी के अनुसार, सिगरेट का वैध कारोबार सिगरेट के अवैध कारोबार को रोकने में असफल रहा है ।**

13. **जनहित के अत्यंत आवश्यक कानून व मानव जीवन की रक्षा के कानून कभी भी इस डर से बनाने से इनकार नहीं किए जा सकते हैं कि कानून की पालना करवाने वाली मशीनरी कानून की पालना नहीं करा सकेगी। अगर ऐसे हास्यास्पद तर्क मान लिए जाएंगे तो लगभग सभी प्रतिबंधात्मक कानून समाप्त किए जाने होंगे ।**

14. तंबाकू की खेती से लगा कर तम्बाकू के सारे उत्पाद मानव जीवन के लिए ख़तरनाक बीमारियों व मौत का कारण है। अतः जनहित में भारत सरकार को तंबाकू के सम्पूर्ण उत्पादन व कारोबार

पर प्रतिबंध लगाने का संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत पूर्ण अधिकार है। भारत सरकार के किसी भी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अधिकार होने की घोषणा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेकों न्यायिक दृष्टांतों में की जा चुकी है । तंबाकू की खेती व तंबाकू के सभी प्रकार के उद्योग व व्यापार पर प्रतिबंध लगाना भारत सरकार का संवैधानिक दायित्व है।

15. राज्य मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (घ) के अंतर्गत तंबाकू के विषय पर विचार कर अनुसंधान कर केंद्रीय कानून, COTPA, 2003 के प्रावधानों में भारी कमी होने के कारण से व COTPA, 2003 कानून के कारण भारतीय राज्यों में मानव अधिकारों का हनन ही नहीं, बल्कि मानव जीवन की हानि हो रही है। अतः राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को केंद्र सरकार से ये अनुशंसा करने का क्षेत्राधिकार है।

16. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार पर अधिनियम, 1993 की धारा 12 (1) सपठित धारा 21 (5) की गई आपत्तियों को अस्वीकार किया जाता है।

17. तंबाकू पक्ष लॉबी का अगर यह कथन है कि उन्हें भारत के कानून ही नहीं, बल्कि भारतीय संविधान, लाखों लोगों को मारने का और मानव जाति को गंभीर रोग देने का व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है तो भी मानव अधिकार आयोग क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर लाखों लोगों के जीवन व स्वास्थ्य को बचाने के लिए कार्य करेगा।

18. अगर केंद्र सरकार द्वारा तंबाकू के संपूर्ण कारोबार, खेती व उसके उत्पादों के व्यापार व निर्यात से प्राप्त हजारों करोड़ रूपये की राशि की आमदनी को महत्व दिया जा रहा है तब केंद्र सरकार द्वारा कैंसर की चिकित्सा पर पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों का आकलन करना चाहिए। कैंसर की चिकित्सा में कितने हॉस्पिटल, किस स्तर के व किस कीमत में इलाज कर रहे हैं, कैंसर की दवाइयों की कितनी कीमत होती है, जो चाहे सरकार कम कीमत में उपलब्ध कराएं अथवा इंश्योरेंस कंपनियां इनका पुनर्भरण करें या व्यक्तिगत व्यय के रूप में व्यक्ति खर्च करें तथा इससे होने वाली आर्थिक हानियों के साथ में देश भर में जो तंबाकू सेवन से बचाने के लिए उत्तम दर्जे के वीडियो व विज्ञापन दिए जा

रहे हैं, जिसका भुगतान सरकार जनता के पैसे से करती है अथवा कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा खर्च किया जा रहा है। इन वीडियोज् को विज्ञापन के रूप में प्रसारित करने की कीमत टीवी चैनल्स द्वारा नहीं ली जाती है तब भी इस राशि की आर्थिक बोझ के रूप में गणना करनी चाहिए। अगर तंबाकू के दुष्परिणामों से बचने के लिए व ईलाज के लिए जो वास्तविक खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था पर है उसका मूल्यांकन करने पर हो सकता है कि सरकार को यह ज्ञात हो कि जो राजस्व दिखाया जा रहा है उसमें से कोई भी खर्चा घटाकर शुद्ध राजस्व आय लगभग नगण्य होगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि तंबाकू के कम्पनियों, राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा मात्र राजस्व आय बताई गई है इस आय में से खर्चे नहीं घटाए गए हैं। अतः इस कारण भी तंबाकू पक्ष द्वारा तंबाकू व्यापार बंद करने से जो राजस्व हानि बताई गई है वह अधूरे तथ्यों के आधार पर आधारित होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकती है।

अनुशंसाएँ :-

1. केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से COTPA, 2003 में संशोधन करें अथवा COTPA, 2003 को हटाकर **तम्बाकू की खेती से लेकर तम्बाकू के तमाम उत्पादों के व्यापार व सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने हेतु कानून बनाकर** भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के जनजीवन की रक्षा करें व भारत के व विश्व के आमजन के जीवन को कैंसर, हृदय रोग व फेफड़ों के रोग से बचाने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था व विशेष रूप से चिकित्सा व्यवस्था पर जो भारी बोझ पड़ रहा है उसे ख़त्म कर आम जनता के धन का आवश्यक चिकित्सा में उपयोग कर सके।
2. राज्य सरकार स्वयं के अधिकारक्षेत्र में तंबाकू के सम्पूर्ण कारोबार पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखें।
3. तंबाकू की खेती, तम्बाकू का व्यापार, तंबाकू से किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी अथवा अन्य धूम्रपान के उद्योग दंडनीय अपराध घोषित किए जाएं व श्रेणी अनुसार दण्ड के अलग-अलग प्रावधान बनाये जाएं।
4. धूम्रपान के साधन, बीड़ी, सिगरेट, सिगार अथवा ऐसे अन्य उत्पाद जो जानलेवा बीमारियां प्रदान कर मानव जीवन को समाप्त करते

हैं, ऐसे खतरनाक एवं जानलेवा उत्पादों के कारोबार पर आजीवन कारावास के दंड के प्रावधान बनाए जाएं।

5. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में तम्बाकू पर प्रतिबन्ध लगाये जाने अथवा नहीं लगाये जाने सम्बन्धी याचिका में तम्बाकू पर पूर्ण प्रतिबनध लगाये जाने का पक्ष रखें।
6. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार आयोग की इस आदेश/अनुशंषाओं को अगर उचित समझे तो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी प्रस्तुत करें।
7. तंबाकू लॉबी सशक्त है इस कारण से तम्बाकू विरोधी अभियान सफल नहीं हो सका व तंबाकू पर प्रतिबंध लगाकर मानव जीवन की रक्षा सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के आरोप व प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा नही, सरकार द्वारा दिया जाना है।

आयोग द्वारा मानव जीवन व मानव स्वास्थ्य से संबंधित अत्यंत गंभीर विषय ही नहीं, बल्कि विश्व के पर्यावरण व गरीब देशों के लाखों लोगों के हितों में जिस विषय पर विचार किया गया है, उस विषय में साधारणतया पक्ष-विपक्ष द्वारा रखे गए तर्क स्वीकार या अस्वीकार किए जा सकते थे। परंतु तंबाकू

पक्ष लॉबी द्वारा जिस प्रकार से संगठित रूप से आधारहीन (जैसे, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने पर लोग आतंकी बन जाएँगे और नक्सलाइट बन जाएंगे, अवैध व्यापार बढ़ेगा और इसकी राशि विश्व की ख़तरनाक आतंककारी अल कायदा इत्यादि के पास में पहुँच जाएगी) तर्क प्रस्तुत गए हैं उन्हें सिर्फ़ ख़ारिज कर देना उचित नहीं होगा। इन तर्कों को अत्यंत निंदनीय घोषित किया जाना आवश्यक है, अतः राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग तंबाकू पक्ष लॉबी द्वारा, जिस प्रकार के आधारहीन, मानव जीवन को समाप्त करने व विश्व में लाखों लोगों को मारने के व्यापार के पक्ष में तर्क रखे गए हैं, उनकी **भारी निंदा करता है।**

इस आदेश/अनुशंसा की प्रतिलिपि (1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा (2) सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुशंसा पर केंद्र सरकार के विचार व पालना करने हेतु प्रेषित की जावे।

आदेश/अनुशंसा की प्रतिलिपि (1) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, (2) अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, (3) अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,

जयपुर तथा (4) प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य एवं संसदीय मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को विचारार्थ एवं उचित निर्णय कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष